पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.geocities.com/samaymaya/july09.pdf

पंजीयन क्रमांक RNI-MP\HIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार

B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/march09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com
(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 3 अंक 37 इंदौर, सोमवार 20 जुलाई से 26 जुलाई 2009 तक पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 बजट जन कल्याण नहीं, सत्ताधीशों का कल्याण

3 नमूने नहीं लिए गए हैं वर्षों से सांची दूध के

4 वर्षों से जमे अजगरों को पाल रही सरकार

5 लाखों आडिट आपत्तियां हैं, जबकि उथला कागजी अंकेक्षण

6 निरीक्षक नियमन नहीं, नोंचने के लिए जनता को

7 हर जिले में सू. अ.अधि. 05 के अलग खोले जाए न्यायालय

आखिर समयमाया का सच जरदारी ने स्वीकार किया

आतंकी पाले

समयमाया अपने प्रकाशनों में पिछले 5-6 वर्षों से ये छाप रहा था कि जो आतंकवादी रूपी बिच्छु वो पाल रहा है, उशके डंकों को खाने के लिए स्वयं भी तैयार रहे। वर्तमान में पाकिस्तानी परिदृश्य में यह न केवल स्पष्ट हो रहा है, वरन जिस अमेरिका ने आईएसआई, आतंकवादियों और तालिबानों को वित्तीय सहायता देकर रूप के खंड-खंड टुकड़े करवाए,

शेष पेज 2 पर

केंद्रीय बजट ०९-अंधों बांटे रेवड़ी आप-आप को लेय

जनता से महंगाई, कर्ज, बढ़ाए वेतन की वसूली

नई दिल्ली ।

भारत की केंद्र सरकार कांग्रेसी गिद्धों के चंगुल में हो, तो आम आदमी के कटोरे में आंसू न हो यह स्वर्णिम इतिहास कांग्रेस न दोहराए यह तो पूर्णतः असंभव है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो छठा वेतनमान दिया गया था। स्वाभाविक था कि जितना वेतन बढ़ाया, इसकी तुलना में उसके समानुपात में महंगाई तो बढ़ाना ही थी, जिसकी व्यवस्था शायद इस बजट से ही की गई है। सामान्यतौर पर प्रत्यक्षरूप से बजट से कोई प्रत्यक्ष कर की घोषणा भले ही न की गई हो, परंतु बजट आने से पूर्व बाजार में आम उपभोक्ता वस्तुओं की चढ़ती कीमतें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

जिस मंदी के लिए रुपए 186000 करोड़ की व्यवस्था की घोषणा की गई है वो सीधा उद्योगों को मंदी से उबारने के नाम पर उद्योगपतियों ने जो चंदा कांग्रेस को व अन्य पार्टियों को दिया था या देंगी उसकी भरपाई करने के काम आएंगे जो कि सीधा जनता के करों से वसूला गाय था। स्पष्ट सच का रूप कोई भी हो और दलीलें कानून, दस्तावेजों की खानापूर्ति का आधार कुछ भी हो, इसका सबसे बड़ा स्पष्ट उदाहरण यह है कि यही कारण है कि एक तरफ मंदी के नाम पर रुपए 186000 करोड़ डकारने की व्यवस्था के लिए ही कंपनियों और औद्योगिक घरों की राजनैतिक पार्टियों को दिए गए चंदे पर 100% की छूट दे दी गई है। बजट की सबसे बड़ी शेष पेज 2 पर

अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने ओसामा को कब्र से निकाला

आतंकी व्यवसाय और हथियारों का बाजार गर्म

विश्वभर के मीडिया में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने देश की हथियार निर्माता कंपनियों, जो उसे भारी भरकम चंदा देती है के इशारे पर ओसामा जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आतंकी बनाया था। अमेरिका ने सितम्बर 06 में चिरनिंद्रा में जा चुकने के बाद भी उसे कब्र से बाहर निकालकर पुनः जीवित करने की कोशिश की जिसे श्री अजमेरा ने अपनी करप्शन की साइटों से न केवल नाकाम सिद्द कर दिया, वरन जिस 25/05/06 साइटों पर लिखकर कि ओबामा ने ओसामा को अपने हथियारों के बाजार और आतंकी व्यवसाय को चमकाने के लिए ओसामा को पुनः जीवित किया, लिखकर व्हाइट हाऊस को ई-मेल पर डाला उस दिन से ओसामा पुनः कब्र में जाकर चैन की नींद सो पाया है।

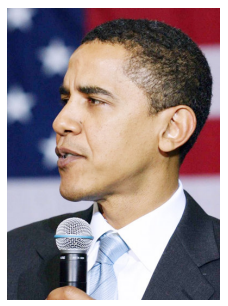

विश्वभर के लोकतंत्र चाहे वह भारत का अमेरिका का जापान, फ्रांस, ब्रिटेन आदि कहीं का भी हो वहां के पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. के मालिकों द्वारा लोकतांत्रिक राष्ट्रों में राजनीतिक पार्टीयों को चंदा दिया जाता है, उन्हें चुनाव लड़वाया जाता है और फिर किसी भी पार्टी की सरकार बनने पर फिर उनसे शेष पेज 2 पर

भाजपा की औकात नहीं कि बजट सत्र पूरा चले

डरपोक 31 जुलाई के पूर्व ही समाप्त कर देंगे सत्र

इतिहास गवाह है कि भाजपा ने कोई भी सत्र पूरा नहीं होने दिया

भोपाल

म.प्र. की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जबसे मुख्यमंत्री पद का ताज पहना है तब से इस बंदे और इसके गिरोह के मंत्रियों और विधायकों ने म.प्र. की विधानसभा में बैठकर कोई भी सत्र पूरा नहीं चलने दिया।

वर्तमान में म.प्र. की विधानसभा में चल बजट सत्र जो 6 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त 09 तक चलना चाहिए जो शायद 24 जुलाई नहीं तो हर हाल में 31 जुलाई से पूर्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। भाजपा की औकात नहीं कि वह विधानसभा में बैठकर विपक्ष के आरोपों, प्रत्यारोपों का सामना कर सकें। वैसे भी यह तो संभावित ही था कि भाजपा 10 जुलाई को बजट पेश करेगी, ताकि बाद में शनिवार, रविवार की छुट्टियों के चलते वह आसानी से बच कर निकल सके और आंकडों की जालसाजी के प्रश्नों के उत्तर, जनता पर थोपे गए मूल्य आधारित करों के भार में स्पष्टीकरण दे सकें।

दूसरी ओर भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थीं उन पर कोई टीका टिप्पणी कर न स्पष्टतः वादा खिलाफी का परिचय दिया है,जिसमें किसानों की कर्जमाफी और सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय शासन के अनुसार वेतन भत्ते देने की घोषणाएं की थीं।

निर्धनों को जहां एक ओर केंद्रीय सरकार के वायदा व्यापार को छूट, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों के निर्यात पर छूट से 50 से 70% की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, बेशक केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां मंदी का राग अपाल रही है, मीडिया प्रिंट और दृश्य जहां मुद्रास्फीति को ऋणात्मक दर्शा रहा है, वही उपभोक्ता वस्तुओं पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए छटे वेतन मान की वृद्धि की वसूली के लिए दुष्यकृत्यों से आम जनता महंगाई से पिसी जा रही है। म.प्र. सरकार ने वेट को निम्न वस्तुओं पर बढ़ा कर आमजन की कमर जो पेट में गए दाने से तन जाती है। पिचकने की पूरी व्यवस्था की है। आने वाले सत्रों में विपक्ष जब इस पर हंगामा करेगा और प्रश्न पूछेगा तो स्वाभाविक है वर्तमान सत्ताधीशों की परेशानियां बड़े बड़े विधायकों को विधानसभा में सामना करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। इससे बेहतर है किसी भी विवाद को हवा देकर सत्र को 24 जुलाई को ही समाप्त कर दिया जाए।

वैल्यू एडेड टैक्स से यह होंगे महंगे

सीएफएल, दो पहिया वाहनों की बैटरी, ब्लैक बोर्ड, प्लाईवुड, दोपहिया, तिपहिया वाहन, रिक्शा और टायर, ट्यूब, तगाड़ी, स्टील की चद्दर, शेष पेज 2 पर

चीनीयों का उद्देश्य व्यापार नहीं, यहां की बारीकियों को जानना है

पीथमपुर में चीनी फैक्ट्री-महू को सीधा खतरा

इंदौर

पीथमपुर में हाल ही में एक चीन द्वारा उद्योग की शुरुआत की गई है, वह उद्योग की शुरुआत नहीं वरन म.प्र. के अंदर चीनी जासूसी का आगाज है, उनका पीथमपुर में फैक्ट्री चलाने का नहीं वरन महू के मिलिट्रेबेस का जासूसी करने सेना की कार्य प्रणाली जानने, सेना का युद्धाभ्यास, मिलिट्री कालेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सारी प्रणाली का अध्ययन करने की है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी संचार व्यवस्था सन 1940 की है, हमारी सेना के पास वही पुरानी पवति के तौर तरीकों के वायरलेस सिस्टम्स हैं। ये बात शायद म.प्र. सरकार के सचिवों को नहीं मालूम कि अपनी रक्षा प्रणाली की हालात क्या है। वो आसानी से चीनी जासूसों को मालूम पड़ जाएगी जो भविष्य में भारतीय रक्षाप्रणाली के लिए घातक सिद्ध होगी, देश की सुरक्षा में चीन अर्से से सेंध लगाता रहा है। अब भी वह पीथमपुर में उद्योग चलाने नहीं भारत के महू स्थित सैनिक छावनी का चप्पा-चप्पा नापने फोटो ग्राफ्स लेने, दस्तावेजों की छायालिपियां, टेक्टिसप्लान के संग्रहण के लिए ही आया है जो भविष्य में हमारी भविष्यवाणी को न केवल सिद्ध करेगा वरन इसकी घातकता समय बताएगा। हमारी म.प्र. सरकार को शायद इससे बिलकुल सरोकार नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री का तो बस नहीं चला ववन वो तो चीनी उद्योगपतियों की चरणरज से अधिकारियों के साथ अपनी मांग भर लेते।

अब जबकि फैक्ट्री ने काम शुरू कर दी दिया है, इन हरामखोर धूर्तों को देश की ओर प्रदेश की जनता की खातिर न केवल क्षेत्रीय पुलिस की जासूसी संस्था, रिसर्च व एनालिसिस विंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस का हर पल वहां की कड़ी निगरानी करना ही होगी, वरन वो अपना चारोंतरफ जाल बिछा देंगे।

शेष पेज 2 पर

साप्ताहिक
समय माया

संपादकीय

बजट जनकल्याण नहीं सत्ताधीशों का कल्याण

भारत में लोकसभा चुनाव के कारण राष्ट्र की केंद्रीय सरकार के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं, क्षेत्रीय नगर पालिकाओं, निगमों के बजट इसलिए मार्च में प्रस्तुत न किए जाकर जून, जुलाई में प्रस्तुत किए गए।

बजट वैसे तो शुद्धतः काल्पनिक और अनुमानित आंकडे ही होते हैं। जिनकी वास्तविकता स्वयं वित्त मंत्री चाहे केंद्र का हो या राज्यों के, स्वयं ही आंकडों की इस बाजीगरी को अक्षरशः सिद्ध नहीं कर सकते। जबकि वो बजट पेश करते हैं।

जो कुछ भी हो अंत में हमें बजट को स्वीकारना होता है, और भविष्य में केंद्र और राज्य सरकारों के बजट को ध्यान में रखकर अपनी जेब की आवक-जावक का अंदाज लगाने में अनुमानित दुविधाओं के साथ अपनी सुविधा से जीने की राह निकालनी होती है। बेशक इसका सबसे ज्यादा उपयोग कर सलाहकर, कर सलाहकर, संस्थाएं सनदी लेखाकारों, कंपनियों को घटे बढ़े करों के लिए किया जाता है। कैसे वो अधिकतम टेक्स से आयकर, विक्रयकर कस्टम एक्साइज व अन्य करों का न्यूनतम भुगतान कर अपना अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे जो कि सीधा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी से जुड़ा रहता है।

इन सबके विपरीत वित्तमंत्री के बजट से सत्ता में बैठे मंत्री,सचिव और सरकारी अधिकारी जो विभागों में जिला स्तर तक बैठे रहते हैं अपनी भ्रष्टाचार से लूट और वसूली का वास्तविक अंदाज अवश्य लगा लेते हैं कि कुल कितना पैसा केंद्र व राज्य सरकारों ने बजट में उपलब्ध करवाया है अपने हिस्से में कितना आ पाएगा और कितना अपने के ऊपर वाले अधिकारियों से लेकर मंत्री, सचिवों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना होगा।

बजट वास्तविकता में जनकल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं वरन् सरकार, सरकारों के मुखिया से लेकर सत्ताधीश अपने स्वकल्याण के लिए प्रस्तुत करते हैं, ताकि भविष्य में एक निश्चित आय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री से लेकर संबंधित विभागों के मंत्रियों से लेकर जो 5 वर्ष के लिए सत्ता में बैठते हैं से लेकर सबसे घाघ, चतुर, श्वान मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों से लेकर विभागीय संचालकों, आयुक्तों, प्रमुखों, जिलाधीशों, संबंधित विभाग के जिलाधिकारियों, जनपदों में बैठे सचिवों से, ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों तक धन कैसे बंटेगा, कैसे डकारा जाएगा, कौन सा बहना होगा, कौन-कौन से झूठे व्हाउचर कागजों को कैसे तैयार किया जाएगा तक के नियोजित करने में भारी काम आता है। जैसा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधीवाटर शेड मिशन, राजीव गांधी, सबको शिक्षा, महिला बाल विकास, गरीबों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए गेहूं, चावल वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में वर्षों से हमारे देश के सभी राज्यों में हो रहा है।

केंद्र व राज्यों के बजट से सत्ता से दूर बैठे भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाले अर्थशास्त्री, वित्त विशेषज्ञ आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सरकारी धन केंद्र से आया और राज्यों के बजट में आवंटित अपने अंतिम बिन्दु पर निर्धारण अनुसार खर्च हुआ और कितना सरकारी तंत्र डकार गया। केंद्र सरकार से आवंटित धन के बारे में 90 के दशक के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की यह टिप्पणी स्पष्टता का अहसास कराती है जो उन्हें कही थी कि केंद्र से चला रुपये अंतिम बिन्दु तक पहुंचते 10 पै. रह जाता है। पर्याप्त है, जब 10 पैसे सरकारी तंत्र डकार रहा था हालात अब भी बदले नहीं हैं। राज्य के आवंटन का कांग्रेस राज में 25पैसे भाजपा में कुछ विभागों में 40% तो कुछ में 60% निर्धारित लक्ष्य पर खर्च होता है। अर्थात सरकारों का बजट जन कल्याण के नाम पर स्वकल्याण का बजट होता है।

केंद्रीय बजट ०९... शेष पेज 1 से जारी

साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी को बढ़ावा

साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी को बढ़ावा और महत्वपूर्ण जालसाजी में चूंकि सभी राजनैतिक दल जो संसद की कबड्डी के खिलाड़ी हैं ने 542 में से किसी ने भी जानबूजकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि सारे दिग्गज जालसाज भ्रष्टों का गिरोह इस लूट में अपने अपने हिसाब से खुलकर बटोर और डकार सकेंगे।

इस तथ्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मंदी का आंकलन का कोई टोस आधार ही नहीं है और न ही उसे स्थापित कर पाएंगे। दूसरी ओर संसद की कबड्डी के जो 542 खिलाड़ी हैं इस मुद्दे पर न केवल एक है साथ ही सब मुखैरे श्वानों की फौज या तो स्वयं की कंपनियां है या कहीं न कहीं संचालक मंडल में शामिल हैं या उनके रिश्तेदारों की कंपनियां हैं। यदि इसके विपरीत यह भी मान लिया जाए कि कुछ की ऐसी कंपनियां नहीं भी हैं तो महत्वपूर्ण बुद्धिमान जालसाज बड़ी-बड़ी से लेकर छोटी कंपनियों के संचालक मंडल के सदस्य बन जाएंगे, दूसरी और 90% सांसदों का अरबों रुपए के बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर्स में फंसा है। उनसे सीधी सौदेबाजी कर भी ये मंदी के धन की चांदी काट सकेंगे जो सरकार ने जनता से करों के रूप में वसूल कर नोंचा था।

एलसीडी, टीवी, ब्रांडेड ज्वेलरी पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है। दोनों ही विदेशों से आयात होती है या बड़ी कंपनियों का करोबार है। आम आदमी को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसके विपरीत क्षेत्रीय स्वर्णकारों का कार्पोरेट विक्रेताओं के सामने जो देश का लघु एवं कुटीर कीमती उद्योगों का हिस्सा है जरूर, कहीं प्रतियोगिता करनी होगी। अल्पसंख्यक जिसकी परिभाषा में मात्र मुस्लिम समुदाय ही गिना जाता है, जिसे कांग्रेस अपना अंध भक्त वोट बैंक मानती है रुपए 1740 करोड़ की व्यवस्था मात्र जातीय आधार पर पिछले वित्तवर्ष की अपेक्षा 74 % अधिक की गई है। कांग्रेस के लिए मुस्लिमों को हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस गिरोह जो भाजपा पर हिन्दुवादी साम्प्रदायिकता का आरोप लगाते नहीं आघाती स्वयं कितनी निष्पक्ष है या ठोस साम्प्रदायिक है उसका ये स्पष्ट प्रमाण है। डॉक्टरों और वकीलों से जो सर्विस टेक्स वसूला जाएगी उसका भुगतान वास्तविकता में गरीबों को जो बीमारी की चपेट में आते हैं गरीब जो मुकदमेंबाजी के झंझट में कुछ ज्यादा ही उलझते हैं। गरीब जो मुकदमें बाजी के झंझट में कुछ ज्यादा ही उलझते हैं न केवल गरीब बनाएंगे वरन मुंह से निवाला भी छीन लेंगे। डॉक्टर्स, नर्सिंग होम्स, बड़े हास्पिटल अपनी लूट के अनाप बिलों पर सर्विस टेक्स भी वसूलेंगे हजारों लाखों में उसका 10% ही सरकार को देंगे, जैसा कि कोचिंग संस्था करते हैं। और डट कर काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। कस्टम एंड एक्साइज जो सर्विस टेक्स वसूलते हैं इसी आधार पर दो नम्बर का धन बतौर रिश्वत सीधे नामी बेनामी खातों में जमा करवाते हैं।

डरपोक... पेज एक से जारी

प्लास्टिक सामान, लोहे की बाल्टी, लोहा हाथ से निर्मित मोमबत्ती, रसायनिक खाद्य, मच्छर मारने वाले मेट, अगरबत्ती, प्लास्टिक के कप और ग्लास, कोयला और कोक कच्चा तेल, स्टील, जूट, सूखे मेवे, सोने चांदी के आभूषण, नोट बुक, छपे हुए डायरी और कैलेण्डर, लेबोरटरी नो बुक, स्याही, पेंसिल, कटर, हैण्डपम्प का सामान, अमलताश, अश्वगंधा, बेलगुड़ा, भोजपत्र, गूगल, हर्र, हींग, जमालगोटा, वनस्पति, आयल, शहद, दूध पाउडर, मावा, चीज, मिठाई, नमकीन, चाट-पकोड़ी, समोसा, कचोरी, दही बड़ा, साबूदाना खिचड़ी और श्रीखंड, तैयार आचार, जूस, पेस्टी, जेली, हैलमेट, कम्प्यूटर, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, और तार रहित यंत्र, सीडी, डीवीडी, टेप, प्रिंटर रिबिन, टेलीकम्युनिकेशन यंत्र, वीडियो फोन, फैक्स कार्ड, वीसेट, रेडियो, नट, बोल्ट, जीआई तथा सीआई पाईप, प्लास्टिक के फुटवेयर और हवाई चप्पल, प्लास्टिक टंकी, सोलर पम्प, सोलर गैस, पानी के जहाज और वोट, खेल का सामान, इलेक्ट्रोनिक खिलौने, ट्रेक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर तथा इनके टायर ट्यूब, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन टावर, जरी, गोटा, सितारा, बीड़ी, टेलीफोन उपकरण, पुरानी कार, चमड़े के वस्त्र और खिलौने, कपास बीज आदि।

आतंकी व्यवसाय... पेज एक से जारी

अपने हितों को साधने वाले कार्यों के लिए न केवल कानूनों, वरन राष्ट्रों के संविधान तक में फेरबदल करवा दिए जाते हैं। अर्थात् जिसकी लाठी उसकी भैंस।

6 माह पूर्व ही अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने वाला बराक हुसैन ओबामा ने बहुत जल्दी ही अपनी आतंकवादी को पालने, अपने आपका दुनिया की महाशक्ति समझने, अमेरिकी हथियार निर्माता कं. की कठपुतली बन नाचने, बहुराष्ट्रीय कं. की हां में हां मिलाने उनके हिसाब से प्रशासन चलाने की असली औकात दिखा दी, एक तरफ पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र बताया तो उसको आतंकवादी पालने और आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए हर दो माह में स्वयं और जापान से लगभग 20 मिलियन डालर की आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवाई।

भारत के प्रति मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ करते हुए जहां बात-बात में भारत की सराहना करता है तो दूसरी तरफ अमेरिका में बसे भारतीयों को भगाने के लिए राष्ट्रपति पद पर बैठने से लेकर अभी तक उनके लिए कदम-कदम मुश्किलें खड़ी कर भगाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता है।

जून 09 के प्रारंभ में अपनी आतंकवादी छवि को बरकरार रखते हुए उसके आतंकवादी धमकियों युद्ध, टेप पूरी दुनिया के मीडिया में छा गए थे, उसे जिंदा बताने की कोशिशें तेज हो गई थी, जबकि ओसामा बिन लादेन की मृत्यु सितम्बर 06 में हो चुकी है। जिसे फ्रांस के समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया था। गहन निष्कर्षों से जब यह सिद्ध हो गया तभी समय माया के मुख्य सम्पादक श्री अजमेरा ने यह घोषणा और अमेरिकी आतंकवाद के तांडव पर अपनी भ्रष्टाचार की साइटों से दुनिया को इस अमेरिकी कठपुतली, जिसे अमेरिका अपने हथियार बेचने का विज्ञापन का आदर्श मानता है या कार्पोरेट जगत की भाषा में कहें तो उनका हथियार व्यवसाय का अधिकृत अनुबंधित माडल हैं। की मौत की सच्चाई बता दी थी।

अभी भी जब ओबामा ने अपने इस हमशक्ल हम नाम को पुनः कब्र से बाहर निकालकर वियाग्री खिलाकर पुनः मीडिया में इसके टेप पेश किए तो श्री अजमेरा ने अपनी साइटों पर यह लिख कर कि ओसामा ने ओबामा को पुर्नजीवित कर अपने आतंकवाद के व्यवसाय और हथियारों का बाजार गर्म किया। जैसे ही राष्ट्रपति ओबामा के ई-मेल पर डाला, उस दिन से ही शायद अमेरिकी सरकार का ये हथियार आईकॉन पुनः कब्र में सोने के लिए चला गया, अर्थात् हमारी साइटों से यह पढ़कर ओबामा प्रशासन को यह समझ आ गया कि ओसाम के भूत को पुर्नजीवित कर उसके सहारे अब आतंकवाद का व्यवस्था नहीं चल सकेगा और दक्षिण एशियाई देशों में इस हथियार आईकॉन के सहारे हथियार बेचकर धन और अमेरिकी अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती।

अब जबकि ओबामा रूस की यात्रा पर है जिसके मुद्दे में एक तो उत्तरी कोरिया द्वारा लगातार किए जा रहे मिसाइल परीक्षण और दूसरा ईरान होगा कि उसे रूसी सहयोग देना बंद करें तो उस पर भी आक्रमण कर कब्जा किया जा सके, ताकि उसकी भारी आर्टीलसे, तोपखाने, सैनिक साजोसमान जो वायु मार्ग से अफगानिस्तान नहीं पहुंचाया जा सकता जल मार्ग से ईरान तक लाकर कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान तक पहुंचा कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरती से भारत और चीन में आतंकवाद के दम पर अमेरिकी चीन से प्रत्यक्ष और भारत में परोक्ष कहर बरपा सके।

ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही हर दृष्टि से दक्षिण एशिया महाद्वीप के भारत और चीन दोनों राष्ट्र न केवल सोते जागते भी सपनों में अखरते हैं, दूसरा उसकी आंखों की किरकिरी बन कर 24घंटों खटकते रहते हैं। कभी उनकी बढ़ती-चढ़ती अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करता है तो कभी अमेरिका मे बसे भारतीय और चीनी नागरिकों को निकाल भगाने के षड्यंत्र रचता है, तो कभी स्कूलो में जाकर भारतीय और चीनी विद्यार्थियों की प्रतिभा से अमेरिकी विद्यार्थियों को उनकी तुलना में तीव्रता से आगे बढ़ने की सलाह देता है।

आतंकी ... पेज एक से जारी

बिच्छु पालने वालों को डंकों से लगने लगा डर

भारत में अनेकों आतंकवादी आक्रमण, कश्मीर घाटी में पिछले 25-30 वर्षों से लगातार हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों से पूरा कश्मीर खाली करवा दिया गया। हमारी मुस्लिम वोट परस्त कांग्रेसी गिद्धों की सरकार मुंह बाय बैठी रही। घड़ियाली आंसू बहाती रही, आतंकवादियों को जेल में बैठाकर मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी खिलाते हैं। वो संसद में घुसकर हमला भी कर जाए तो हमारी सरकार अपने ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ठुकराकर मात्र वोटों की खातिर अफजल गुरु को सुरक्षा के साथ सिर पर बैठाकर सच बोलने लिखने वालों पर डंडा घुमाती है। यह जगजाहिर है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों के व्यवसाय संभालने के लिए अमेरिकी आतंक के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आतंकवादियों को नायकों की तरह पाला-पोसा, जब तो बिच्छु वहां डंक मारने, सरेआम मस्जिदों पर हमला कर हजारों लोगों की हत्याओं का पर्याय बनने लगे तो गैर राजनीतिक पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने जो स्वीकार किया उसे देखें-

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पहली बार स्वीकार किया कि कुछ अल्पकालिक रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए देश में आतंकी पैदा किए गए और उन्हें पाला-पोसा गया। जरदारी के मुताबिक न्यूयॉर्क में 2001 में 9/11 हमले बाद के वर्षों में आतंकियों ने देश को भी शिाना बनाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार रात पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ एक बैठक में जरदारी ने कहा- 'नौकरशाही का मनोबल गिरे होने और कमजोर होने के कारण आतंकवादी राष्ट्रीय परिदृश्य पर नहीं उभरे। उन्हें एक नीति के तहत अल्पकालिक लक्ष्य हासिल करने के लिए पैदा कर पाला-पोसा गया।

कल तक हमारे हीरो थे आतंकी

''हम निष्कपट भाव से सच्चाई को स्वीकार करें, 9/11 की घटना से पहले तक आज के आतंकी बीते वर्षों में हीरो थे और आज वे हमें भी अपना शिकार बनाने लगे हैं।''

आसिफ अली जरदारी
राष्ट्रपति पाकिस्तान

पीथमपुर में चीनी... पेज एक से जारी

07.07.09 को पीथमपुर में चीन के गैंगसी राज्य के उद्योगपति मैं. ल्युगां इंडिया प्रा.लि. ने पीथमपुर में हैवी अर्थ मूवर मशीनों के निर्माण के लिए रुपए 175 करोड़ की लागत से उद्योग को मात्र 8 महीनों में निर्मित कर उत्पादन शुरूकर दिया, जिसका उद्घाटन म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किया था। म.प्र. में अगला उद्योग सामारिक दृष्टि से जबलपुर और ग्वालियर में चीनी सरकार और उद्योगपति प्रारंभ करेंगे, ताकि आसानी से जबलपुर स्थित रक्षा सैन्य अकादमी, रक्षा सामग्री से जुड़ी फैक्ट्रियों आर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया, गनकेरिज (तोप) फैक्ट्री, ग्रेआयरन पाउंड्री, हीकल फैक्ट्री जबलपुर सेन्ट्रल आर्डिनेंस डिपों में रखी मिसाइलों, गोलाबारूद की सारी सच्चाई चीनी मिलिट्री इंटेलिजेंस जान सकें। ग्वालियर में वायुसेना के मिराज 2000 का आधारभूत अड्डा है। मिराज 2000 सन 2008 तक वायुसेना के बेड़े का सबसे अग्रिम लड़ाकू विमान था। हाल ही में वायुसेना में शामिल अवाक्स शामिल हुए हैं जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार की आंखों की किरकिरी है। दूसरा चीन ने जब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मे सेध लगाकर अमेरिका को सिरदर्द पैदा कर दिया। भारत के सभी बड़े शहर उसकी मिसाइलों के निशाने पर हैं। हमारी सेनाओं की काफी कुछ गोपनीयता वह प्राप्त कर चुका है प्रदेश के सभी रक्षा केंद्रों पर वह इसी प्रकार उद्योग लगाने के बहाने सारी जानकारियां और बारीकियां एकत्रित करेगा।

केंद्र और राज्य सरकार के दिग्गजों को केवल धन वसूली से मतलब है। साथ ही पीथमपुर के पास ही है या पीथमपुर इंदिरा सागर और सरदार सरोवर के केंद्र में है, यदि उसके जासूसों ने भविष्य में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर को निशाना बनाया तब क्या होगा? शायद इसके बारे में इन हरामखोरों को खबर नहीं, जबकि चीन भारत का सबसे बड़ा और घातक शत्रु है।

मालवा की आय से चलता है पूरा प्रदेश

अलग हो, मालवांचल म.प्र. से

सत्ताधीश अधिकारी सब मौज करते हैं, मालवा की बिजली, कृषि उत्पाद, राजस्व, औद्योगिक उत्पादन आदि पर बदले में अंधेरा, बीओटी की सड़कें भारी करारोपण, डकैत, जालसाज अधिकारी

इंदौर।

म.प्र. में मालवा के इंदौर, उज्जैन, संभागों के 14 जिलों के कृषि बिजली औद्योगिक उत्पादन से प्राप्त आय से म.प्र. की सरकार न केवल चलती है, वरन इस धन की नोंच खसोट में बचे हुए प्रदेश के अधिकारी मंत्री और मुख्यमंत्री तक न केवल मौजमस्ती करते हैं, वरन अपने इस काले धन से अरबों रुपए की चल अचल सम्पत्ति खड़ी कर लेते हैं।

अकेले मालवा की उत्पादित बिजली और राजस्व जो 50 से 60% होती है, बदले में न केवल महंगी बिजली तो मिलती ही है साथ ही मिलता है घंटों का अंधेरा जो घरेलू जीवन से औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी प्रभाव डालता है। साथ ही बदले में प्रदेश सरकार में बैठे सुलेमान जैसे गिद्ध 80% बीओटी की सड़कों से वाहन चालकों को नोंचने के लिए स्थापित की है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का लोकनिर्माण विभाग का प्रधान सचिव आदि की औकात हो तो भिंड, मुरैना, रीवा में बनाए बीओट की सड़कें और करें वसूली ठेकेदारों, टोल टेक्स वसूल करने वालों की लाशें बिछ जाएंगी। प्राकृति का नियम है जो जितनी दबता है, उतना दबाया जाता है। वही हाल मालवांचल का हो रहा है यहां संभागायुक्तों, जिलों के जिलाधीश, सभी विभागों में अधिकांश जिलास्तर के अधिकारी पूरे प्रदेश से छांटे हुए रीवा, ग्वालियर के भ्रष्ट, लुटेरों, डकैत जो प्रदेश भाजपाध्यक्ष तोमर के दोस्त या उनके मिलने जुलने वाले बैठा दिए गए हैं चाहे सरकारी विभाग हो या निगम मंडल के प्रबंधक अध्यक्ष, इंजीनियर आदि-आदि।

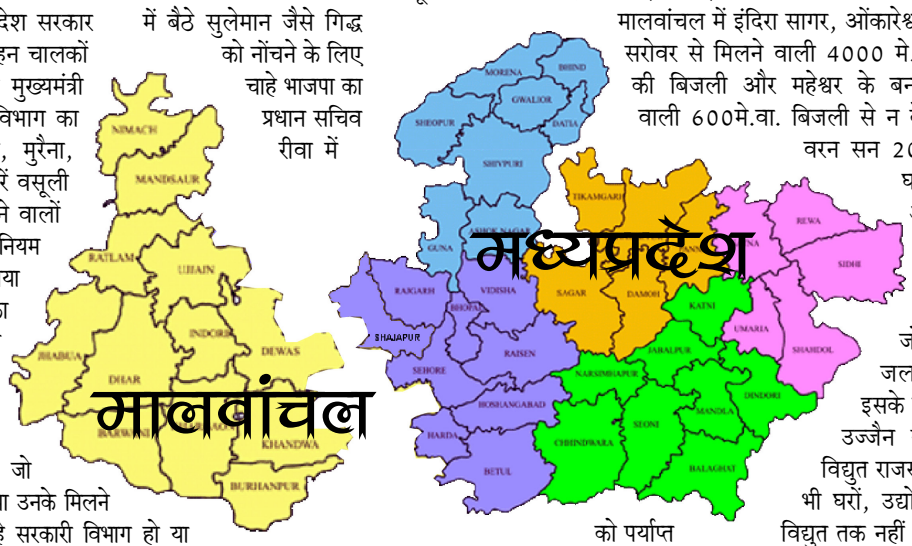

देश की आजादी के बाद से पूरे म.प्र. में दो ही सबसे ज्यादा दुधारू गायें थीं, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मालवांचल जो पूरे प्रदेश के भ्रष्ट सत्ताधीशों का निवाला बना रहा, अर्जुनसिंग, रीवा का इस भ्रष्ट ने इंदौर की चलती हुई मिलों को मात्र इसलिए बर्बाद कर दिया कि इस श्वान को उन्होंने साझेदारी या लाभ का टुकड़ा देने से मना कर दिया था। उस इंदौर, उज्जैन, रतलाम की सारी मिलों में ताले डलवाकर लाखों को बर्बाद किया। दिग्गी दानव ने भी जंगलों को नोंचने से लेकर सड़कों पर बीओटी के अंतर्गत इंदौर संभाग के रहवासियों से लेकर यहां से गुजरने वाले ट्रक वाहनों तक से नोंच-खसोट बहुत करवाना शुरू कर दी, सड़कों पर ये वसूली के बाद भी न तो सड़कें बहुत अच्छी है न सुरक्षित है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर-इच्छापुर अशोका बिल्डकॉन की इस सड़क पर किसी भी 23 से 40 के बीच कहीं न कहीं कोई वाहन पड़ा या दुर्घाटनाग्रस्त मिलता है। सड़कों की दोनों तरफ की पट्टियां 6 वर्ष बाद भी नहीं भरी गई हैं। 80 किमी से लेकर 110 कि.मी. तक और 135 से 180 किमी तक की म.प्र. सड़क विकास निगम के वर्तमान संचालक और पूर्व का गिद्ध इंदौर जिलादीश सुलेमान को इस हरामखोर को वसूली मिलती रहे महीने की इसे कोई मतलब नहीं।

मालवांचल में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर से मिलने वाली 4000 मे.वा. से ज्यादा की बिजली और महेश्वर के बनने से मिलने वाली 600मे.वा. बिजली से न केवल वर्तमान वरन सन 2015 तक की घरेलू कृषि और औद्योगिक मांग को आसानी से पूरा किया जा सकता है जो कि पूर्णतः जल विद्युत है। इसके विपरीत इंदौर, उज्जैन संभाग ज्यादा विद्युत राजस्व देने के बाद भी घरों, उद्योगों और कृषि को पर्याप्त विद्युत तक नहीं मिलती, हमारे दम पर चंबल संभाग न केवल भरपूर फायदा उठाता है, जबकि विद्युत राजस्व सबसे कम मिलता है। वहां की हर शासकीय, प्रशासकीय डकैतों का निवाला मालरा से ही निकला जाता है।

श्रम, विक्रय कर, कर्मचारी बीमा आदि के मुख्यालय यहां होने का मूल कारण भी यही था कि यहां सुलभ श्रमिक, कच्चा माल, अच्छा बाजार, उपलब्ध था यही कारण था कि देवास, पीथमपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र यहां विकसित हुए, अब जब इसे क्षेत्र की 40% उद्योगों पर ताले डल चुके हैं। बड़ी कपड़ा मिलों को बंद हुए भी युग गुजर **शेष पेज 6 पर**

म.प्र. सहकारी दुग्धसंघ जालसाजों और भ्रष्टों का अड्डा

नमूने नहीं लिए वर्षों से सांची दूध के

इंदौर।

म.प्र. में राज्य शासन का सहकारी दुग्ध संघ जो अपने ब्रांड सांची के नाम से पूरे प्रदेश में दूध बेच रहा है दुग्धायुक्त और सहकारी संघ अध्यक्ष प्रबंध संचालक से लेकर दुग्ध समितियों के संभागीय अध्यक्षों से लेकर प्लांट इंचार्ज, विपणन, प्रबंधक, प्रबंद से संचालक सदस्य आदि से लेकर दूध में बेचने वाले बूथ तक पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर तक सब येनकेन प्रकारेण जहां सांची दूध के बूथ बने हुए हैं ग्राहकों से लूट और वसूली में लगे हैं। रुपए 4/50 के पाउच दुकानदार विक्रेता रुपए 5 में ही दे रहे हैं। जब रुपए 4 का था पाऊच तब भी रुपए 5 में ही बिक रहा था न तो सांची दूध का विपणन प्रबंधक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर में कुछ बोलने को तैयार था न ही नापतौल के पूरे म.प्र. के हर जिले और हसीलों में बैठे निरीक्षक सब महीना

शुद्ध प्राकृतिक दूध नहीं पाउडर का कास्टिक सोडा डीडीटी की मिलावट

वसूली कर चुप थे, इस प्रकार उपभोक्ता लूट रहा है।

अब जबकि इन दूध के पाउडर से दूध को पैक करने वाला सांची के नाम से बेचने वाला म.प्र. दुग्धसंघ इंदौर में ही रुपए 26 प्रति ली. दूध बेचकर अन्य दूध बेचने वालों का भाव चढ़ा चुका है, जबकि म.प्र. सहकारी दुग्ध संघ अपने पैकेटों पर लिख रहा है कि शुल्क प्राकृतिक दूध जो सरासर जनता के साथ जालसाजी है। पूरे म.प्र. सहकारी दुग्धसंघ और उसके **शेष पेज 6 पर**

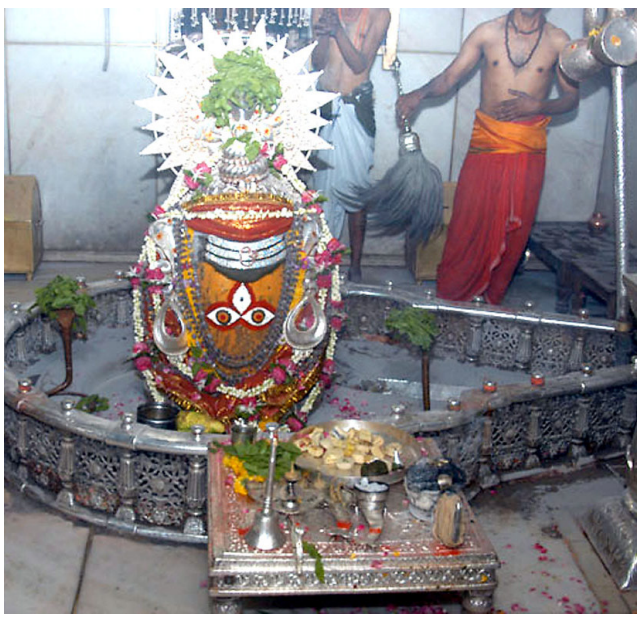

महाकाल में प्रवेश शुल्क के नाम पर लूट

मंदिर पर सरकारी डकैतों का साया

उज्जैन।

म.प्र. में भाजपा की सरकार कितनी हिन्दू धर्मरक्षक है इसका ढोंग और डकैती का प्रत्यक्ष प्रमाण पवित्र तीर्थ नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर में देखा जा सकता है, जहां म.प्र. शासन के गिद्ध दर्शनार्थियों से दान में प्राप्त धन को लूटने खसोटने में लगे हैं। इन्होंने सावन में आने वाले दर्शनार्थियों से लूट और वसूली के लिए सीधे प्रवेश के नाम पर रुपए 159/- का शुल्क लगा दिया है, अर्थात अमीरों को सीधे दर्शन और गरीब, ग्रामीणों को आधे किमी से ज्यादा का न केवल चक्कर वरन घंटों लाइन में खड़े करने और परेशान करने की पूरी व्यवस्था, ताकि बुजुर्ग, बीमार, गरीब बाबा महाकाल के दर्शन करने का इरादा भी त्याग दें।

समयमाया ने इस बात को कई बार प्रमुखता से उठाया है, महाकाल मंदिर में प्राप्त होने वाली करोड़ों की वार्षिक आय से प्रशासन के साथ ही ट्रस्टियों को आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान एवं औषधि केंद्र, संस्कृत महाविद्यालय, वेदाध्ययन विद्यालय, धर्मशालाएं, भोजनशाला में जो साधुओं, निर्धनों को मुफ्त भोजन करवाने की व्यवस्था में करें, खुलवानी चाहिए के विपरीत प्रशासन में बैठे म.प्र. शासन के गिद्ध मंदिर की आय में वो डाके डाल ही रहे हैं साथ ही प्राप्त आय को अनाप-शनाप खरीदी, झूठे खर्चों के बिलों से लाखों रुपए कमीशन और भ्रष्टाचार से डकारा जा रहा है, एक तरफ चारों तरफ शासकीय पुलिस की चौकी में भी थाने की पुलिस के 3-4 जवान मुख्य द्वार पर 3-4 जवान चौकी पर बैठे रहते हैं। इसके बाद भी सुरक्षा के नाम पर निजी युनाइटेड सिक्यूरिटीज के सुरक्षाकर्मी भी 25-50 खड़े किए गए हैं, जिन्हें रुपए 2, ढाई हजार प्रतिमाह दिया जाता है, जबकि रुपए 5000/- प्रति सुरक्षाकर्मी के नाम से रुपए लाख सवा लाख व प्रतिमाह का बिल अपने ही रिश्तेदारों की एजेंसी को उपकृत करने और धन डकारने के लिए भी भुगतान किया जा रहा है।

आखिर श्रद्धालुओं और दान दाताओं के धन की लूट पर न तो संघ बोल रहा है, न भोपाल, दिल्ली के नेतृत्व हिन्दुओं के मंदिर में भाजपा के ही मंत्री, मुख्यमंत्री कैसे और क्यों न डाका डाल रहे हैं, न तो कांग्रेस ही पूछने को तैयार है न ही इन सफेदपोश शासकीय डकैतों मंदिर के ट्रस्टियों, पंडों, पुजारियों की लोकायुक्त में ही कोई शिकायत की जा रही है। यही प्रवेश शुल्क अगर कांग्रेस के समय में लगाया जाता तो भाजपा न केवल धरना, जुलूस,

संघ, विश्वहिन्दू परिषद्, अन्य हिन्दू संगठन क्यों सब चुप

प्रदर्शन, हड़ताल और उज्जैन बंद की कार्यवाही पर तुल जाता। दूसरा भाजपा की औकात हो तो किसी गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, दरगाह पर प्रवेश पर वसूली करके दिखाए।

हिन्दुओं का ये दुर्भाग्य ही है कि ऊंच-नीच, जातियों के बंधन में न केवल बिखरा हुआ है, यही कारण की उसने सहस्त्रों वर्षों की गुलामी झेली हैं और आजाद भारत में भी हम जाति पाति में उलझ कर बैठे हुए हैं। और आपस में ऊंच-नीच के भेदभाव में ही लड़ते रहते हैं,यही कारण है कि हिन्दुओं की इस लड़ाई का लाभ हमेशा से ही विदेशी आक्रमणकारियों ने लिया और देश पर राज किया। यहां की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान से प्रभावित होकर अपनी जाति और धर्म को ही इस देश में स्थापित कर दिया,यह बात हजारों वर्ष पूर्ण सेल्युकस अलेक्जेंडर से चलकर 8वीं, 5वीं शताब्दी में हुणों, शकों के बाद 11वीं शताब्दी में मुसलमान आक्रमणकारियों, बाद में डच, फ्रेंच और ब्रितानीयों के शासन से स्पष्ट है। वर्तमान में पहले कांग्रेस ने और बाद में हिन्दुओं के वोटों से सत्ता में स्थापित होकर भाजपा भी वहीं नोंच खसोट करने में और हिन्दुओं के ऊंचनीच के विवादों का लाभ उठाकर कर रही है। सत्ताधीश किसी का नहीं होती उसे सत्ता सुख के साथ धन चाहिए, चाहे वो वैध तरीके से आए या अवैध से दान से आए या लूट से, चढ़ावे से आए या प्रवेश शुल्क से इन गिद्धों की नोंच खसोट, वसूली का तरीका कुछ भी हो बहाने हजार ढूंढ लिए जाते हैं, या अपने आपही सत्ता मद के साथ मिल जाते हैं। जो हाल नोंचखसोट और वसूली के लिए कल तक महाकाल के पंडे कर रहे थे। वहीं वरन उससे गंदा हाल अब ये सत्ता में बैठे हरामखोर मंत्री-संत्री से लेकर आयुक्त, जिलाधीश, प्रशासक कर रहे हैं। इन धूर्त मक्कारों को जनता के भरने पर अंतिम वस्त्र के कफन से खाने में कोई गुरेज नहीं।

आवश्यक है तो हिन्दू दर्शनार्थियों के इकट्ठा होकर संघर्ष कर इस लूट को बंद करवाने की है। कल तक त्रिमुंडधारी पंडितों की महाकाल मंदिर दुकानदारी थी, अब सत्ताधीश हरामखोर पेंट-शर्ट वाले सुरक्षा गार्डों से घिरे प्रशासकों की भी हो गई है, लुटने के लिए दर्शनार्थी हैं ही, लूट सके तो लूट अंत काल पछताएगा जब प्राण के साथ ही सब जाएगा छूट।

साप्ताहिक
समय माया

भ्रष्ट, निकम्मी सरकार-वर्षों से जमे अधिकारी करें भ्रष्टाचार

वर्षों से जमे अजगरों को पाल रही सरकार

इंदौर ।

(1) इंदौर में ही वर्षों से विभागों में जिले और संभाग स्तर के अधिकारी कुंडली मारे, जमे बैठ कर एकतरफ शासन के नियमों को बलाए ताक रखकर न केवल जनता, वरन पर्यावरण को भी बर्बाद करने में तुले हैं। जिनमें प्रदूषण फैलाओं मंडल का इंदौर का क्ष.स. अच्युत आनंद मिश्रा प्रदूषण फैलाने वालों से हरामखोर महीना वसूली कर जल और वायु अधिनियम की धज्जियां उधेड़ रहा है, तो दूसरी ओर धार-पीथमपुर का क्षे.अ. त्रिवेदी भी अपने खानदान में पुलिस और पत्रकार होने का ढोंग रचकर प्रदूषण फैलाने वालों को संरक्षण दे रहा है।

(2) जनता को परेशान करने वालों में डॉ. शरद पंडित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह भी महाभ्रष्ट हरामखोर हर कदम-कदम जालसाजियों, वसूली और बर्बादी का इतिहास लिख स्वास्थ्य विभाग का न केवल प्रदेश में वरन पूरे देश में नाम रोशन कर रहाहै, इस गंजे ठीठ के किस्से कहानियों और भ्रष्टाचार के तांडवों से दैनिक भरे पड़े रहते हैं।

(3) म.प्र. लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग के इंदौर संभाग के सेतु निर्माण शाखा में बैठा सीबी सिंह, जिसके अंतर्गत राजेंद्र नगर, सांवेर रोड और एम.आर.-9 के रेलवे ओवर ब्रिज जो कि इंदौर में ही हैं के निर्माण में ये शूकर न केवल घटिया स्तर का काम करवा रहा है, वरन एम.आर.-10 पर बने पाथ के बीओटी के ओवर ब्रिज को ज्यादा कमाई हो, इशके लिए वहां से इस श्वान को टुकड़े मिलते हैं, इसलिए ये जानबूझकर जनता को परेशान करते हुए इनके निर्माण को लंबा खींचने के लिए विवाद उत्पन्न करवा रहा है। इस टुकड़खोर श्वान को भी 6वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। जान बूझकर निर्माण में ढील देकर रेटडिफ्रेंस का फायदा देकर वसूली करना इसकी आदत है। लोकायुक्त में भी इसकी जांच चल रही है। प्र.अ. शुक्ला, प्र.स. मीना, सचिव सुलेमान को टुकड़ा खिला रहा है, इसलिए पाल रहे हैं।

(4) महिला बाल विकास में 5वर्षों से ज्यादा समय से इंदौर की जिला अधिकारी श्रीमती मंजुला तिवारी जो हर इस विभाग की केंद्र और राज्य की योजना में सेंध लगाकर ये मक्कार भी बटोरने में लगी है। झूठे बिल व्हाउचरों से स्वयंसेवी संस्थानों जो पूर्णतः जालसाजी से लगी है 25 से 40% धन कमीशन में डकार रही अर्चना चिटनीस स्कूली शिक्षा मंत्री की कमाई का साधन ऐसे ही भ्रष्ट, मक्कार जिला शिक्षा अधिकारी हैं इसलिए अभय प्रदान किया है। खूब वसूली करो, फर्जी अंकसूचियों, प्रमाणपत्रों का व्यवसाय करवाओ, न्यू सिटी कांवेट, यादव की जो म.प्र., उ.प्र. राज. का शिक्षण माफिया है कृष्णा कोचिंग, एनी बेसेन्ट, श्री कृष्णा स्कूल चला रहा है। शिक्षा माफियाओं को परीक्षा केंद्र आबंटन, मान्यताओं के नाम वसूली करो और भेंट चढ़ाओं।

(7) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति इंदौर में खाद्य निरीक्षक सहा. आपूर्ति अधिकारी मीना, शर्मा, शुक्ला भी वर्षों से जमें हैं पर जिला खाद्य नियंत्रक परमार पेट्रोल पम्पों पर मिलावटी पेट्रोल, डीजल, राशन दुकानों पर सहा.आ. बीजी मेहता, जो 3वर्ष से ज्यादा समय से बैठे हैं। साथ ही बड़वानी, खंडवा, खरगोन में बैठे सहा.आयुक्त भी आदिवासी कल्याण के नाम पर आए केंद्र व राज्यों के अरबों रुपए के धन की बंदरबांट में लगे हैं। इन्हें भी शीघ्र स्थानांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही इन सहा. आयुक्त कार्यालयों में बैठा लिपिकीय वर्ग जो न केवल वर्षों से जमा है और अरबों रुपए की जालसाजियों में संलग्न रहकर आदिवासी हितों के नाम आए पैसे को गिद्धों की तरह नोंच कर खा रहा है, आय से अधिक चल अचल सम्पत्ति के रहते लोकायुक्त जांच में दिया जाना चाहिए सबसे ज्यादा ऐसे भ्रष्ट स्टाफ धार, झाबुआ, बड़वानी, चपरासी तक के लिए सोने की खान सिद्ध हो रही है। ऊपर स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास किए जाते हैं। नीचे बैठे बाबू, अधिकारी धन डकारने के रास्ते निकाल लेते हैं। देवास जिले में ही बैठी घाघ बाबुओं की फौज परियोजना अधिकारी आदि वर्षों से कुंडली मारे बैठे हैं, वही हाल उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, रतलाम, शाजापुर के साथ ही पूरे प्रदेश के हर जिले का है। सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय को यहां वर्षों से कुंडली मारे बैठी फौज को बैमुरव्वत तितर-बितर कर देना चाहिए ताकि इस जिलों के श्रेष्ठ भ्रष्ट जिला पंचायत कार्यालयों का भ्रष्टाचार रोका जा सके, यहां खुले में हर लेनदेन में सौदेबाजी के बाद ही चेक की सूची में आर.के. सलूजा ए.के. जोशी, आर.के. शर्मा, के.सी. जैन, प्रदीप दुबे जैसे अधिकारियों को इंदौर में बैठे 5 से 10 वर्ष हो गए हैं। प्रदेश के अन्य अधिकारी इनके स्थानांतरण न होने से बहुत रुष्ठ हैं।

एंटी इवेजन ब्यूरो में बैठे दोनों उपायुक्तों ब में बैठा एन.एस. मरावी और अ में बैठा रविन्द्र श्रीवास्तव की सूत्रों की मानें तो आयुक्त को रुपए 50 पेटी प्रतिवर्ष का भुगतान कर रहे हैं। स्वाभाविक है ऐसी दूध देती गाय को ब्यूरो से कैसे हटाया जा सकता है। दूसरे उपायुक्तों की निगाहें इस कमाऊ पद पर बैठने के लिए वर्षों से बह रही है, परंतु उनकी अश्रुवर्षा, वर्षा के जुलाई मौसम में पड़ रहे सूखे पर कोई देखने वाला नहीं। सतना, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, खंडवा, सागर, भोपाल, रीवा के उपायुक्तों की लार इन पदों के लिए बहते हुए न केवल अर्सा गुजर गया, वरन् उनके मस्तिष्क और शरीर में जलाभाव या पर्याप्त रिश्वत के अभाव में भारी कुंठित हो चुके हैं। जबकि इंदौर में ही बैठे अन्य उपायुत आर.सी. पालीवाल, एस.बी. सिंह, एस.एल. वर्मा और मुख्यालय में बैठे अन्य उपायुक्तों को रोज मोटी वसूली की खबरें अलग पद की लालसा बढ़ाती रहती है। पर सबसे मोटे अजगर भ्रष्टाचार दास को जाने के डर और स्थानांतरण कर जमे हुए मोहरों को खिसकाने से वसूली बिगड़ जाने का डर भी हर पल सताता रहता है।

अब जबकि केंद्र शासन ने गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स की घोषणा कर दी है तो आयुक्त से लेकर चपरासी तक इस विभाग का अमला जितना लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब विभाग राज्य से निकलकर केंद्र में जाएगा डूब।

तीन वर्ष में स्थानांतरण का नियम हवा, बाढ़ ही खेत खा रही

है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शोषण से लेकर गांवों की महिलाओं और बच्चों तक का शोषम कर लूटपाट में जुटी है।

(5) म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग का नगरनिगम का जल प्रबंधन संभाल रहा डबकारा ये चुप्पा धीमी आवाज का मक्कार जो रात में 12 बजे 4' की पाईप लाईन का कनेक्शन देने में सनराइज टावर के सामने वकीलों द्वारा पकड़ा गया भी जनता में खूनी संघर्ष करवाने का जिम्मेदार 4वर्षों से मरम्मत, अवैध जल आपूर्ति से कमाई करने में लगा है।

(6) पूरे शहर में फर्जी शिक्षण संस्थाओं, स्कूलों को चलवाने वाली जि.शि. अ. माया ये भ्रष्ट भी 3 वर्षों से यहां कुंडली मारे बैठ भ्रष्टों को पाल कमाई करने में लगी है। श्रीमती मिट्टी के तेल, काला बाजारी गांवों से शहरों तक राशन दुकानों पर सड़ा गेंहू बिकवाने, अच्छे माल की काला बाजारी के लिए गैस डीलरों द्वारा ब्लैक में गैस बिकवाने, घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान करने 5 से 25 दिन में गैस आपूर्ति करने के लिए भी ये अजगरों की फौज जो वर्षों से कुंडली मारे बैठी है और वसूली में व्यस्त उससे मस्त है को भी शीघ्र स्थानांतरित किया जाना चाहिए,यही हाल इंदौर, उज्जैन के साथ प्रदेश के सभी जिलों का है।

(8) म.प्र. का इंदौर सबसे बड़ा आदिवासी संभाग है जिसके 8में से 6 जिले आदिवासी हैं जिसमें बड़वानी, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, अलिराजपुर हैं। यहां धार में बैठे सहा. आ. संतोष शुक्ला झाबुआ में खंडवा में देखा गया, जहां पर बैठी महिला अधिकारी, कर्मचारियों के शरीर पर लदे सोने से अंदाजा लगाया जा सकता है।

(9) म.प्र. के सरकारी विभागों में सबसे भ्रष्ट विभाग हर जिले में जिला पंचायत ही होता है। जो हर जिले के विकास कार्यों में केंद्र व राज्य से प्राप्त धन का आवंटन उसके हर विभाग को करता है जो शहरीय और ग्रामीण विकास कार्यों को संचालित करकते हैं। ये गांवों की पंचायतों से लेकर कृषि, उद्यानिकी, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवाओं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो हर जिला पंचायत के मु.का. अधि. से लेकर दिया जाते हैं।

म.प्र. वाणिज्य कर इंदौर के मुख्यालय में बैठा भ्रष्टायुक्त पी.के. दास अजगर की भांति कुर्सी से लिपटा बैठ हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली कर रहा है, इसे यहां 5वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। स्वाभाविक है जब आयुक्त 5वर्षों से ज्यादा एक ही स्थान पर बैठकर नोंचखसोट में दोनों हाथों से जुटा है तो उसके उपायुक्तों, जिसमें संभाग दो में बैठा आर.सी. पालीवाल, 1 में बैठा एस.बी. सिंग, 3 में बैठा एस.एल. वर्मा, व क.आ. में श्रीमती सुनीता जैन, धुन्रे जैसे कई भी शुद्धताः यहां अपनी नोंच खसोट और वसूली से लूटकर अपने यहां बैठने की हर वर्ष की कीमत आयुक्त सचिव और मंत्री को पहुंचा रहे हैं।

इस श्रेणी में सहायक आयुक्तों

लोकायुक्त और महाधिवक्ता दोनों ही महाभ्रष्ट

जाते समय १% ही सच निकला दिल से

वरना रिपुसुदन दयाल भ्रष्ट करोड़ों का तनखैय्या था

भोपाल।

म.प्र. का भ्रष्ट, लुटेरा श्रेष्ठ सफेदपोश कानूनी डकैत लोकायुक्त रिपुसुदन दयाल 6वर्षों से उक्तसंगठम में बैठ कर सभी भ्रष्ट अधिकारियों और विभागों से महीने की वसूली कर रहा था जो प्रतिमाह सूत्रों के अनुसार करोड़ों रुपए में जाती थी। जिसमें पुलिस, परिवहन, वाणिज्य कर, नगरनिगमों, पालिकाओं, स्वास्थ्य विभाग, लोकनिर्माण, स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जलसंसाधन, नर्मदाघाटी विकास, आदिवासी, जिलाधीश कार्यालयों, वन विभाग, शिक्षा, नागरिक आपूर्ति, महिला बाल विकास, विद्युत मंडल, औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम,कृषि उद्यानिकी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ग्रामीण यांत्रिकीय, नगर एवं ग्राम निवेश, हाऊसिंग बोर्ड, भू-प्रबंधन, रजिस्ट्रार भूमि, भवन क्रय-विक्रय, सहकारिता आदि अधिकांश विभागों से महीना पहुंचता था।

इस लोकायुक्त संगठन के कार्यालय में हर दिन पूरे प्रदेश से 25-50 से ज्यादा शिकायतें पहुंचती है, शिकयतें उस आवक पंजी में नहीं चढ़ाई जातीहै, जिसमें वास्तविकता में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाते हैं। उनकी तत्कालक आवक का बाबू 10-20 फोटो कॉपी करवा कर वहां के कर्मचारी संबंधित आरोपी से भावतदाव और महीने की वसूली की समझौता वार्ता करने दौड़ पड़ते हैं। समझौतावार्ता और भाव का निर्धारण और समझौता होते ही शिकायत लोकायुक्त कार्यालय से बाहर जब तक महीना मिलता रहेगा, शिकायत ठंडे बस्ते में आराम करेगी, जिस दिन धन मिलना बंद प्रकरण वास्तविक पंजी में पंजीकृत होकर जांच शुरू। यही कारण था कि सभी विभागों के भ्रष्ट छोटी-मोटी शिकायतों को खास तवज्जों नहीं देते थे।

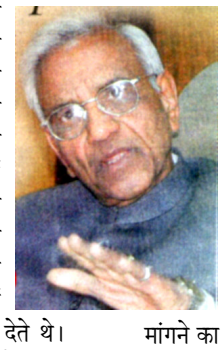

इस संबंध में जो लोकायुक्त द्वारा दी गई लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय इंदौर परिक्षेत्र के अभियंता की दो माह पूर्व छापी गई चार्जशीट के संबंध में जो तथ्य सामने आए वो यह थे कि उक्त मु.अ. डामोर की पत्नी श्रीमती सूरज डामोर चूंकि स्वयं पदोन्नत इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकार है के नुक्ताचीनी करने, पद की आड़ में प्रकरण समाप्त करने के भ्रम में समझौतावार्ता के असफल होने के कारण जांच शुरू हो गई, अन्यथा पूर्व का.अ. तिवारी जो रंगे हाथों न केवल पकड़ा गया वरन आय से अधिक सम्पत्ति का भी आरोपी होने के बाद भी 1998 केप्रकरण को तिवारी ने बांटकर ही सेवा निवृत्ति तक रोका गया, आखिर क्यों? क्योंकि वसूली मिल रही थी।

ये हरामखोर रिपुसुदन धारा 198 (2) की आड़ में जो सरकार से अनुमति मांगने का जो ढोंग करते हैं वो निरर्थक है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय तीनवर्ष पूर्व ही उस धारा को औचित्यहीन करार देते हुए खुले में जांच एजेंसियों के साथ ही सभी नागरिकों को खुली छूट दे दी थी, कि किसी भी भ्रष्ट लोकसेवक के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने में वाद चलाने में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। 22/06/09 को ली गई प्रेसवार्ता में इस भ्रष्ट लालची मुखैरे श्वान जिसका स्वयं का इतिहास गंदगी से भरा पड़ा है ने जो आरोप म.प्र. की वर्तमान भाजपा सरकार पर लगाए हैं। अपने आका पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी दानव के जमाने से जो 10 वर्ष शासन में रहा जिसका एकमात्र उद्देश्य लूटखसोट रह, उस समय क्या मुंह में दही जमा रखा था नोटों का,स्वाभाविक था कि वे इनका भाई बाप था। इसलिए उस सफेद खादी के डकैत के विरुद्ध मुंह खोलने की औकात नहीं थी।

ये वही न्यायाधीश रिपुसुदन दयाल हैं जिसने इलाहाबाद के न्यायाधीश सिन्हा जिन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिय था और अपराधी ठहरा दिया था इसके विपरीत इस बंदे ने स्व. इंदिरा को न केवल आरोप मुक्त कर दिया था बदले में स्व. इंदिरा ने इसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया वहां से सेवानिवृत्त होते ही कांग्रेस के इस दरबारी को कांग्रेस शासनकाल में इस स्वामी भक्त श्वान को लोकायुक्त म.प्र. बना दिया गया,यही कारण था कि इसने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी दानव को इतने भयानक भ्रष्टाचारों और शासन को खोखला करने के बाद भी उसे किसी भी मामले में न दो आरोपी बनाया, न ही उसको किसी मामले में उलझने दिया।

22/06/09 को प्रेस कांफ्रेंस में इस मुखैरे श्वान ने जो मौका वो इतिहास के अनुसार सच तो था ही परंतु इस निकम्मे ने कार्यवाही क्यों नहीं की, जबकि स्वयं ही ने कहा म.प्र. जलसंसाधन की योजनाएं कागजों पर बनती है। तालाब,बांध, नहरें तो हरामखोर के पास जोहर दिन 25-50 शिकायतें पहुंचने के बाद केवल वसूली ही क्यों करता रहा? इस पर अजगर वाली कहावत बिलकुल चरितार्थ थी। अजगर करे न चाकरी, जब बैठे-बैठे ही करोड़ों हर महीने आ रहा था तो क्या जरूरत है जब दहशत ही रोकड़ा टपका रही थी। तब तक सोया हुआ था जब अंत तब निकट आता है तो सबको सच ही याद आती है। जिस प्रकार से पद त्यागने के बाद शब्दों का कुल्ला किया स्वयं अपनी ही भ्रष्ट मानसिकता की हकीकत बयान कर दी।

दूसरी तरफ महाधिवक्ता आर.एन.सिंग ने भी बेशक दोनों हाथ वसूली कर चल अचल सम्पत्ति एकत्रित की है जब लोकायुक्त में शिखायत हुई और जब देख लिया कि सारे कुकर्मों का भांडा फूड जाएगा जो कल तक दूसरों की वकालत करने वाले के गले में शिकंजा कसते देखा त्याग पत्र देकर छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा। नए लोकायुक्त के रूप से पूर्व न्यायाधीश नावलेकर ने शपथ ली है ये भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह कुछ दिनों में कमाई के चक्कर में पड़कर ठंडे पड़ जाएंगे, बेशक शपथ ग्रहण से पूर्व बातें तो लंबी-चौड़ी की है। प्रकरण जल्दी निपटाएंगे सबको न्याय मिलेगा, शीघ्र मिलेगा, जबकि लोकायुक्त संगठन में भरे तो सारे भ्रष्ट पुलिसिये व आईपीएस अधिकारी ही हैं। अकेले नावलेकरजी क्या कर पाएंगे, भविष्य निर्धारित करेगा।

नगरीय भ्रष्टाचार, प्रशासन और विकास विभाग

लाखों आडिट आपत्तियां हैं, जबकि उथला कागजी अंकेक्षण

केंद्र सरकार की राष्ट्र के नगरों के प्रशासन और विकास के लिए राज्यों स्थित नगरीय प्रशासन और विकास मंत्रालयों के माध्यम से नगरीय प्रशासन के क्षेत्रीय नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों जैसी संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धन उपलब्ध करवाकर उनके क्रियान्वयन की समुचित अपेक्षा करता है। इसके विपरीत यह स्व. राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल की उस स्वीकारोक्ति को जिसमें कहा गया था कि केंद्र एक रुपए भेजता लक्ष्य पर मात्र 15 पैसे ही खर्च होता है को काफी गहनता और गंभीरता से चरितार्थ करता हुआ 5 पैसे भी मुश्किल से या केवल कागजों पर 0.5 पैसा खर्च करके पूरा डकार जाता है।

यही पैसा डकारने के लिए एक इंडियन एव्यसिंग सर्विस अधिकारी उज्जैन संभाग के जिले का जिलाधीश पद छोड़कर इंदौर नगर निगम में अपने से कनिष्ठ जिलाधीश के मातहत रहकर इंदौर नगर निगम की आयुक्त बन जाता है। मात्र इसलिए कि यहां पर रुपए 868 करोड़ का बीआरटीएस. कारिडोर रुपए 380 करोड़ का सीवर लाई प्रोजेक्ट रुपए 1500 करोड़ का नर्मदा तृतीय चरण जैसे करीब 22 अरब से ज्यादा के काम चल रहे थे। जबकि आयुक्त नीरज मंडलोई को मालूम था कि इस रुपए 868 करोड़ के बीआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए न तो पर्याप्त जगह है न यह प्रोजेक्ट इंदौर शहर में कभी पूरा होगा, क्योंकि शहर के तीन मुख्य मार्गों एमजी रोड, सुभाष मार्ग, जवाहर मार्ग पर 40 मी. चौड़ा मार्ग बनाने के लिए दोनों तरफ खड़ी बड़ी-बड़ी इमारतों को न तो मुआवजा बांटा जा सकेगा, तो न पीछे हटाया जाएगा। अर्थात 10% भी डकारा गया तो रुपए 2 अरब की इनका व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए वो लपक पड़ता है।

म.प्र. नगरीय भ्रष्टाचार प्रशासन व विकास की आयुक्त दीप्ति गौर, मुखर्जी, मंत्री बाबूलाल गौर, प्रधान सचिव राघव चंदा से लेकर प्रदेश के 24 नगर निगम आयुक्तों, 87 नगर पालिकाओं और 237 नगर पांयतों तक में बैठे महापौरों, नगर अध्यक्षों से लेकर पार्षदों तक की ओर वहां बैठे सचिवों, कर्मचारियों तक सब लूटपाट और डकारने, वसूली और कमीशनखोरी में लगे हों और नगरीय भ्रष्टाचार का प्रशासन व विकास के दावेदार हो तो समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वसूला गया जनता से करों के धन की कैसे बंदरबांट मची होगी।

योजनाओं में ऑडिट आपत्तियों का लेखा-जोखा

क्षेत्र	ऑडिट आपत्ति	निराकृत	शेष
ग्वालियर	17,143	6,128	11,015
भोपाल	25,227	3,339	21,888
उज्जैन	14,944	413	14,531
जबलपुर	13,450	2,736	10,714
रीवा	14,952	4,957	9,995
इंदौर	24,632	429	24,203
सागर	20,726	1,312	19,414
कुल	1,31,074	19,314	1,11,760

इसके विपरीत 7 शहरों के दस्तावेजों के उथले कागजी अंकेक्षण में भी लाखों आपत्तियां सामने आई हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शहरों के लिए विकास किया जाता है। इसके तहत केंद्र और राज्य के मद में उसे करोड़ों रुपए की राशि मिलती है। इस राशि के खर्च को लेकर संभाग, जिला और तहसील स्तर तक कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। सूत्र बताते हैं कि विभाग की 2007-08 की जो आर्थिक समीक्षा की गई है उसमें आडिट आपत्तियों की संख्या एक लाख से भी अधिक है। इसमें हर स्तर पर आर्थिक लेनदेन का हिसाब गड़बड़ पाया गया है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें से तकनीकी गलतियां कितनी हैं और आर्थिक लाभ लेने के मामले में कितने हैं।

किस तरह की गड़बड़-

ऑडिट के दौरान सामने आई आपत्तियों में घपले से लेकर तकनीकी त्रुटि तक शामिल हैं। इसमें गलत चेक लगाकर लाखों रुपए निकालने के मामले भी सामने आए हैं। वहीं गलत खातों में राशि जमा करना और गलत मद में निकालने के भी कई प्रकरण हैं। इसके अलावा तकनीकी खामियों में बजट आवंटन का गलत उल्लेख और राशि के आंकडों का गलत मिलान शामिल है।

अरबों की योजनाएं संदेह के घेरे में- आपत्तियां इन योजनाओं के तहत लगी हैं-

वरिष्ठ व जिम्मेदार बीपापोती और वसूली में मस्त

* जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन
* स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
* एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास योजना
* नेशनल अरबन इंफार्मेशन सिस्टम योजना
* सामान्य जल आवर्धन योजना
* केंद्र प्रवर्तित गतिविर्धित जलप्रदाय योजना
* एडीबी योजना, अयोध्या बस्ती योजना

उपरोक्त तथ्य मात्र/शहरों के हैं जिसमें 7 निगमों की आडिट आपत्तियों के ही आंकडे मिले हैं। जबकि प्रदेश में 14 निगम 87 नगर पालिकाएं और 237 नगर पंचायते हैं। अर्थात ये अंकेक्षण की आपत्तितयां उसे 4लाख तक हो सकती हैं। लोकायुक्त यदि इन पर कार्यवाही करने बैठे तो उसे कम से कम 3 हजार लोगों का स्टॉफ चाहिए पड़ेगा। म.प्र. महालेखाकार ग्वालियर और भोपाल का भी स्टॉफ जो आंतरिक अंकेक्षण करता है उसके लिए न केवल समय निर्धारित होता है, वरन अंकेक्षण की टीमें भी 20 से 30% ही कुल काम देख पाती है। उसमें से 7 निगमों की 07.08 की लगभग डेढ़ लाख आपत्तियां हैं, जबकि ये आपत्तियां भी कुल का मात्र 25 से 35% ही है। क्योंकि 70 से 75% साधारण मामलों में वो सौदेबाजी कर लेन-देन करके न तो रफ नोटिंग करता है, न उनकी अंतिम सूची में शासन या वरिष्ठ अधिकारियों को देता है, न ही अपने मुख्यालय को। यह सारी रामायण कागजी अंकेक्षण औव उसकी त्रुटियों की है, यदि इन सबका तकनीकी अंकेक्षण या मुख्य सर्तकता अधिकारी तकनीकी जांच व अंकेक्षण करें तो 90 % तकनीकी काम स्तरहीन और भ्रष्टाचार पूर्ण हुआ है।

मु.मं. चौहान की गैंग में भ्रष्ट अनुराग जैन

जिला भोपाल के पूर्व कलेक्टर रह चुके अनुराग जैन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान के दूसरे कार्यकाल में भी भ्रष्ट दल में शामिल हैं। अनुराग जैन इनके जिला भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में लोकायुक्त में इनके विरुद्ध मध्यप्रदेश लोकायुक्त में अधिनियम 1981 की धारा 12(1) में मामला दर्ज किया गया। इनके कार्यकाल में सुश्री शाहिदा सुल्तान के परिवहन विभाग के निरीक्षक के पद पर रहते हुए भोपाल रेलवे स्टेशन पर 7-8/5-97 की रात्रि को विशेष पुलिस स्थापना द्वारा यात्रा में 6,03,600/- की रतम सूटकेस में ले जाते हुए पकड़ी थी एवं सुश्री शाहिदा सुल्तान को इतनी बड़ी रकम कहां से प्राप्त हुई बताने में असफल रही, इसलिए लोकायुक्त पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के पश्चात प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास अभियोजन की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 20-05-98 को विशेष न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में चालान पेश किया गया था। जब इस प्रकरण का विचारण प्रगति पर था तब जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग जैन ने मेमो दिनांक 210 जे.सी.-1/2002 दिनांक 15 मार्च 2002 को विशेष पुलिस स्थापना के विशेष लोक अइभयोजक को एक मेमो भेजा था, जिसमें कहा गया था कि विशेष न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय से विशेष प्रकरण क्रमांक 8/98 भ्रष्टाचार उन्मूलन की धारा 13 (1) (3) और (2) के अधीन राज्य विरुद्ध शाहिदा सुल्तान और अन्य वापस होने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए सब इस मामले को लोकायुक्त ने राज्य जानकारी में यह तथ्य लाया गया कि प्रत्याहरण का आदेश संबंधित विभाग के सामर्थ्य में नहीं था और प्रत्याहरण आवेदन अप्राधिकृण जाने पर विधि विभाग ने एन.सी. जैन को विशेष लोक अभियोजन पद से हटा दिया एवं विवादित प्रत्याहरण आदेश को वापस ले लिया। इस प्रकरण की जांच करते समय पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण को प्रत्याहरण करने में विशेष लोक अभियोजक पी.सी. जैन को निर्देशित करने में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग जैन ने उनके सामर्थ से परे कृत्य किया, जबकि मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 की धारा 4 (1) द्वारा उपबंधित अनुसार विशेष पुलिस स्थापना का पर्यवेक्षण और नियंत्रण में रहता है। अनुराग जैन से इस प्रकरण में आपत्तिजनक कार्यवाही को स्पष्ट करने और ओएसडी को सम्बोधित डीओ पत्र दिनांक 15-04-2002 को उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विशेष लोक अभियोजक भेजा गया पत्र विधि विभाग के निर्देश पर भेजा गया था। जैन के स्पष्टीकरण की जांच करने पर यह पाया गया कि विधि विभाग के तथाकथित अनुदेश कारवार नियमों के नियम 46 के उपनियम (21) से संलग्न परन्तुक के आधार पर विधि विभाग के सामर्थ्य से परे था एवं जैन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए थी क्या जैन विधि विभाग के मेन्युअल 30 के अंतर्गत नियमों का प्रयोग करने में लोकायुक्त के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को निर्देश जारी कर सकते थे। दिनांक 24-08-2002 को अनुराग जैन को कारण बताओं सूचना जारी करने के बाद उनसे सूचना में पूछा गया कि मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1981 की धारा 12(1) के अधीन अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी के पास उनके विभाग अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ न की जाए इसके बाद भी अनुराग जैन द्वारा कोई जवाब प्रकरण नहीं किया गया। लोक अभियोजकों के विधि विभाग के अध्याय एक के नियम 15 के अधिन नियुक्त किया जाता है और इस नियुक्ति के समय सरकार जिला मजिस्ट्रेट से अनुशंसा की मांग करती है जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश पे विचार-विमर्श करने पर फिर अपनी राय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की राय के साथ सरकार को प्रस्तुत करना मेन्युअल के नियम 30 के अधीन उसमें निहित उसके पूर्व विवेकाधिकार का प्रयोग कर प्रकरणों को संचालित करने के लिए निजी विधिअभ्यासी को संलग्न करने के लिए सरकार को रोका नहीं जा सकता। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए लोकायुक्त की अनुशंसा पर सरकार में एक निजी विधि लोक अभियोजक एन.सी. जैन को विनिर्दिष्ट मामलों को संचालित करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें सुश्री शाहिदा सुल्तान के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 8/98 सम्मिलित है आपराधिक मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका विधि विभाग के मेन्युअल के नियम 25 तक सीमित होती है। यह नियम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अनुदेश उन मामलों के संबंध में जारी करने के लिए सशक्त है जिन्हें उनके द्वारा किसी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक को आवंटित किए गए हैं। श्री एन.सी. जैन को न तो जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग जैन की अनुशंसा पर नियुक्त किया गया था और ना ही उन्हें संलग्न किया गया था और ना ही एन.सी. जैन जिला मजिस्ट्रेट के प्राधिकार या निर्देश के अधीन कार्य करते थे। प्रकरण 8/98 कभी भी जिला मजिस्ट्रेट श्री एन.सी. जैन से निम्न के लोक अधिकारी को आवंटित नहीं किया गया था। श्री अनुराग जैन को विशेष पुलिस स्थापना की विशेष लोक अभियोजक को किसी भी भय में कोई आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। लोकायुक्त की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, ऐसा करते हुए श्री अनुराग जैन ने न केवल स्वयं की शक्तियों के ज्ञान की कमी का प्रदर्शन किया एवं लोकायुक्त की शक्तियों अधिकारों का हनन किया जो कि एक कानूनी प्राधिकारी है एवं श्री अनुराग जैन ने जिला मजिस्ट्रेट पद का दुरुपयोग कर उक्त प्रकरण में अभियुक्त व्यक्तियों को अनुचित पद के लिए लोकसेवक के रूप में पद का दुरुपयोग किया। लोकायुक्त द्वारा जारी किया गया कारण बताओ सूचना में स्पष्ट रूप से श्री अनुराग जैन इस प्रकरण में अभियुक्त को किसी भी प्रकार से बचाना चाहते थे। लोकायुक्त मध्यप्रदेश ने दिनांक 24-08-2002 को इस प्रकरण में कारण बताओ सूचना जारी किया गया जिसका जवाब देने में भी श्री अनुराग जैन असफल रहे। तत्कालीन समय में यह प्रकरण खूब सुर्खियों में रहा है, जिसमें लोकायुक्त द्वारा अनुराग जैन को दोषी सिद्ध करते हुए दंडित करने की अनुशंसा की गई है।

क्षेत्रवार आवंटन, महीना वसूली करो तानकर सोओ

निरीक्षक नियमन नहीं, नोंचने के लिए जनता को

भोपाल।

म.प्र. शासन के श्रम, खाद्य एवं औषधि, औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नापतौल, वन, वाणिज्यकर, कृषि, उद्यानिकी, आबकारी, पुलिस, पंचायत, राजस्व से नगर निगमों पालिकाओं के भी अधिकांश विभागों में बैठे निरीक्षकों व अन्य सभी विभागों में निरीक्षण कार्यों में लगे निरीक्षकों को क्षेत्रों का आबंटन किया जाना शासन के साथ जनता के लिए भी अभिशाप बन गया है, वे सारे हरामखोरों की फौज क्षेत्रों के आबंटन के अंतर्गत हर निरीक्षक केवल महीना वसूली करने पहुंचता है और महीना वसूली कर चैन की तानकर सोता है।

अधिकांश शासकीय विभागों में जिनमें निरीक्षक पदस्थ किए जाते हैं उनका कार्य होता है, उस विभाग के कानूनों का पालन, नियमन स्थापित कानूनों के अनुसार किया जाए इसके विपरीत निरीक्षण इन निरीक्षकों को अधिकारियों के नोंचने वसूली करने का आधार बन गया, जिसके लिए ये निरीक्षक जिम्मेदार होते हैं, उस कार्य के पालन करने वाली अपनी मासिक चंदीबंदी वसूल कर उसे खुले में सारे कानूनों की धज्जियां बिखेरने, जनता का शोषण करने की खुली छूट देकर भ्रष्टाचार का तांडव करवाते हैं। उसमें क्षेत्रवार आबंटन उस संबंधित निरीक्षक को बेखौफ होकर भ्रष्टाचार करने, वसूली कर नियमन की तरफ से केवल वह हरामखोर कानूनी औपचारिकताएं पूरा करने का नाटक कर एक तरफ जनता की जेब से निकाले धन से सत्ता सुख भोगते हुए जहां दिखाने के लिए जीवन यापन का आधार दिखाता है, दूसरी तरफ उसी जनता के हितों के विरुद्ध सारे कानूनों की न केवल धज्जियां उधेड़ने का सारे कुकर्म कर बचने का तरीका भी कानूनों को पालन करने वालों को बताता है सारे गली, रास्ते दिखाता है। यह हाल कर विभाग में बैठे निरीक्षकों का है।

एकमात्र खाद्य एवं औषधि विभाग में भी केवल खाद्य निरीक्षकों के क्षेत्रवार आबंटन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके विपरीत जिलों में बैठे जिलाध्यक्ष और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को अपनी लूट और वसूली में से धन खिलाकर देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, रतलाम आदि कई जिलों में प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों ने अपनी वसूली के लिए ऐसे क्षेत्रवार आबंटन करवा रखे हैं। देवास में बैठी खाद्य निरीक्षक सुषमा पथरोल, उज्जैन में बैठे अरविन्द पथरोल जैसे हरामखोर जालसाज निरीक्षकों की वसूली के किस्से समयमाया के पाठक पुराने प्रकाशनों में पढ ही चुके हैं।

संबंधित सकूलर की कापी भी समयमाया में प्रकाशित

चाणक्य ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व निरीक्षकों के संबंध में जो पूर्व लिखा था अभी भी वह उतना ही सत्य है जितना वह उस काल में था। कि किसी भी निरीक्षक स्तर के निरीक्षक व अधिकारी को छह माह से ज्यादा एक पद और स्थान पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। जितने भी विभागों में स्थिति का जायजा लिया तो ये तथ्य सामने आए कि अधिकांश विभागों के निरीक्षकों को बैठे उसे लेकर 4वर्ष तक हो चुके हैं। वे शूकर सरकार का हवाला देते हैं कि वह स्थानांतरण ही नहीं करती, जबकि सच यह है कि इन हरामखोरों का स्थानांतरण होता है तो वो लूट का पैसा संबंधित मंत्री तक पहुंचाकर स्थानांतरण रद्द करवा लेते हैं।

म.प्र. के नापतौल विभाग को ही लें, अलेके इंदौर में ही कई निरीक्षकों को दस वर्ष से ज्यादा हो गए इन श्वानों को क्षेत्रों का आबंटन है, पेट्रोल पम्पों से लेकर सब्जी बेचने वालों तक अपने क्षेत्र की दुकानों से काम के हिसाब से महीना वसूली कर ये हरामखोर सब ठीक है, शांति है

के हिस्सेदारी मिल रही है। कोई कैसे हटाए जहां जितनी वसूली वहां उतनी मोटी रायल्टी। यही हाल श्रम निरीक्षकों, स्वा. एवं सुरक्षा वाणिज्यकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन,

अचानक निरीक्षण, साप्ताहिकी नियोजन हो हर दिन के कार्य की समीक्षा

जैसा कि पुलिस थानों और चौकियों से लेकर एसपी आफिस तक सब शांति का राग अलापते हैं वैसे ही ये भी चुपचाप वसूली कर शांति-शांति करते हैं। जबकि इसमें नापतौल विभाग स्वर्णकरों की तराजूयें इलेक्ट्रानिक तोल कांटा मशीनें भी आती हैं कोई भी चाहे स्वर्णकार हो, मंडी व्यापारी हो, सब्जी बेचने वाला हो कम नापने से नहीं चूकता है। 4 रुपए की दूध की थैली 5 रुपए में बेची जाती है, पूछने पर जवाब मिलता है हम ठंडी भी करते हैं। उसमें बिजली का खर्च का पैसा भी शामिल करना पड़ता है। सांची या अमूल वाले कोई बिजली का बिल नहीं देता है एक थैली पर 25-60 पैसे मिलते हैं, इसकी शिकायत नापतौल वालों को क गई, नापतौल निरीक्षक पाटनकर का क्षेत्र था, आए पूछताछ की सब ठीक मिला इन्हें। मिलेगा ही क्योंकि महीना तो दुकानदार अग्रिम में ही देता है न तो जवाब भी अग्रिम तैयार रहता है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 3वर्ष से 10 से ज्यादा समय हो गया इन नापतौल निरीक्षकों को फिर भी स्थानांतरण नहीं हुए, यहां बैठे अधिकांश निरीक्षकों के दूसरा नापतौल पाटनकर अपने गृहजिले में ही वर्षों से जमा है, निःसंदेह सबको वसूली कृषि, उद्यानिकी, आबकारी, पुलिस,पंचायत, राजस्व, नगर निगमों, पालिकाओं, खनिज, विद्युत मंडल, प्रदूषण, महिला एवं बाल विकास, खादी ग्रामोद्योग, जहां निरीक्षण कार्य हेतु निरीक्षक या अधिकारी होते हैं, 3 वर्ष के बाद हर हालात में स्थानांतरित हो जाने चाहिए, इसके विपरीत वे 10 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थानों पर जमे रहते हैं। सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो स्पष्ट कहना होता है सरकार किसी भी पार्टी की हो चाहे कोई भी मंत्री-संत्री हो, हमें सबको बंटना है, वसूली नहीं करेंगे तो मंत्रियों, संत्रियों के अधिकारियों को देने के लिए कहां से लाएंगे, वो जिस शहर में जाते हैं ये निरीक्षक अधिकारी ही उनके होटलों के बिलों, ब्रीफकेस गाड़ी के, डीजल, पेट्रोल की व्यवस्था करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इन मंत्रियों, सचिवों, आयुक्तों, संचालकों, नियंत्रकों की औकात नहीं कि वो इन्हें हर 2-3 वर्ष में स्थानांतरित कर दें। दूसरा उनके भ्रष्टाचार को रोकने क्षेत्र आबंटन पर रोक लगा कर केवल निरीक्षण अचानक निरीक्षण छापे और जांच करें, चालान बनाए, दंड करे, न्यायालय में प्रस्तुत करें की अपेक्षा शांति से......

सभी विभाग अधिकारियों, कर्मचारियों की कमी से परेशान

काम का भारी बोझ- दे रहा बीमारियों का डोज

चारों तरफ का दबाव, मानसिक तनाव व समय और शारीरिक ऊर्जा का अभाव

म.प्र. शासन में 1986 से बंद की ई नई भर्तियों का प्रभाव अब पूरे प्रदेश के सभी विभागों में न केवल स्पष्ट झलकने लगा है, वरन 1986 से पहले की गई भर्तियों वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की 70% फौज 45 वर्ष की उम्र का आंकडा पार कर चुकी है। पिछले 22वर्षों से भले ही नियुक्तियां न की गई हों, पर हर वर्ष कर्मचारियों, अधिकारियों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु और नौकरी छोड़ने से कार्यों के सम्पन्न करने के लिए आवश्यक स्टॉफ की भी न केवल भारी कमी हो गई है, जबकि समय बढ़ने के साथ हर विभाग में अनेकों नई योजनाएं कार्य, नीतियां लागू होने से कार्य भी दो गुना और तिगुना हो गया है, जबकि स्टाफ दो गुना होने की अपेक्षा आधा हो गया है, अर्थात 25वर्ष की तुलना में एक कर्मचारी और अधिकारी के ऊपर चौगुना कार्य तो बढ़ ही गया साथ ही 25वर्ष पूर्व के परिदृश्य के जवाब में वर्तमान का परिदृश्य न केवल पूर्णतः बदल गया है। 25वर्ष पूर्व न इतने फोन और मोबाइल थे न कम्प्यूटर्स, सूचना क्रांति ने जब अंगडाई भी नहीं ली थी, जनता अपने अधिकारों के प्रति इतनी जागरुक नहीं थी, जनप्रतिनिधि, नेता न तो इतने बुद्धिमान थे न इतने सारे अखबार और टीवी इतने सारे समाचार श्रृंखलाएं एक मात्र दूरदर्शन हुआ करता था जो केवल सरकारी मंच और प्रशंसा के ढोल पीटता था। सत्ताधीशों के वर्तमान में क्षेत्रीय प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दूरदर्शन पर भरमार हो गई, इससे भी कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रशासन और शासन को हर पल जागरुक रहना और संभल-संभल कर चलना पड़ता है।

अब छोटे से छोटे काम के लिए दूरदराज से रहने वाले ग्रामीणों से भी सीधे मंत्री, संत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधीश से न केवल सीधी बात करते है, शिकायत कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। छोटी सी छोटी घटना, दुर्घटना को क्षेत्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुचना मामूली सी बात हो गई है। जिससे संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी से लेकर मंत्री, संत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को लेने के देने पड़ जाते हैं।

वर्तमान में म.प्र. शासन के वाणिज्यकर महिला बाल विकास, वन विभाग, पुलिस शिक्षा, जिलाधीश कार्यालय, परिवहन, लोक निर्माण, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग आदि अधिकांश विभागों में धड़ल्ले से महिलाओं को नियुक्तियां तो दी जा रही है, जबकि जहां दो से ज्यादा महिलाएं हैं महिलाओं का पूरा अलग ही कारोबार चलता है, रोते-रोते 12 बजे तक आफीस पहुंचेंगी, 1 बजे लंच का डिब्बा खोलकर बैठ जाएंगी। 2 बजे तक लंच चलेगा, फिर 2 से 3 तक गप्पें, बाजार, घरेलू गुटरगूं, मटकती चटकती 3,3-15 तक काम पर आ भी गई तो थोड़ा बहुत उल्टी सीधा काम किया और 4 बजे ही अपना बेग उठाया, ओठों की लिपस्टिक ठीक की और उठी और जाने की तैयारी किसी ने पूछा तो झट से बहाना बनाया, आज जरा काम है कोई भी बहना बनाया, थोड़ा सा मुस्कुराई, बड़ा बाबू, बोस वहीं ढेर और हो गई नौकरी चल दीं। इन सबसे दूसरे पुरुष कर्मचारियों को न केवल मनोबल गिरता है, वरन जाते ही महिलाओं की इन हरामखोरियों, मक्कारी पर सब गालियां बकते हैं। हां, अगर रिश्वत की राशि की बात हो तो फिर सब इन्हें चाहिए, धन भी, पद भी, पर काम के लिए मत कहो वरना आरोपों की बौछार से लेकर छेड़ने, घूर कर देखने, कुछ भी कह सकती है।

महिलाओं के होने से काम तो पुरुष कर्मचारी, अधिकारी की अपेक्षा मात्र 25 से 50% ही होता है, परंतु न केवल शासकीय कार्यालयों का माहौल भारी बिगड़ हुआ है जो पुरुष कर्मचारियों और अधिकाारियों के लिए के दबाव के साथ ये सब झेलना भी भारी मुश्किल पड़ रहा है। महिला आयोग को ये सब देखने की फुर्सत नहीं है, उनसे तो बस नेतागिरी करवा लीजिए देश की जनता की बर्बादी उन्हें नहीं दिख रही।

चारों तरफ इस मानसिक परेशानियों की वजह से अधिकारी वर्ग भारी संकट में हैं। म.प्र. लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में ही एक का. यंत्री ने सेवानिवृत्ति के 20 दिन पूर्व ही एच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर बाईपास सर्जरी करवाई, यही हाल अधिकांश पीएचई, लोक निर्माण से लेकर जिलाधीश कार्यालयों में चारों तरफ हो रहा है। यही कारण है कि पुलिस विभाग में सिपाहियों, जिन्हें बिना किसी अवकाश के हर दिन न्यूनतम 12घंटे और अधिकतम 18-20 घंटे भी काम करना पड़ रहा है फिर भी कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं, दूसरी तरफ बढ़ते अपराध, नेताओं, अधिकारियों, जनता न्यायालयों, शासन-प्रशासन का दबाव भी परेशानियों से आत्महत्या, अपने ही साथियों की हत्या के पीछे भी कर्मचारियों, अधिकारियों की कमी, काम का बोझ ही सर्वोपरि है।

अब जबकि भाजपा का शासनकाल है कम से कम शासन अपनी व्यवस्था को सुचारू और सुदृढ तरीके से चलाने के लिए कम से कम 1985 के स्तर की स्वीकृत अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या तो पूरी करे वह भी जब प्रदेश की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ हुआ करती थी अब 6 करोड़ से ज्यादा है। दुगुना नहीं तो डेढ़ गुना भर्ती म.प्र. लोक सेवा आयोग और म.प्र. कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कर उससे करें, इससे भाजपा को अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने में भी सुविधा मिलेगी। अधिकारी कर्मचारी जो चुने जाएंगे जीवन भर दिल से भाजपा के गुण गाएंगे।

नमूने नहीं लिए...

शेष पेज ३ का

ब्रांड सांची के दूध, संग्रहकर्ताओं पेकर्स और वितरणकर्ता विक्रेताओं के विरुद्ध धारा 420 में भा. दं. संहिता, भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में मुकदमा चालाया जाना चाहिए।

इस दूध के कीटाणुनाशक बनाने के लिए अभी भी डीडीटी का प्रयोग खुलकर किया जा रहा है। जिसकी बदबू कई बार दूध के 200 ग्राम के पैकेट में आती है। खाने का सोडा कहा जाने वाले सोडियम बाई कार्बोनेट जो कि गर्म होने पर सोडियम कार्बोनेट में अर्थात कास्टिक सोडे में परिवर्तित हो जाता है और मानव शरीर पर घातक प्रभाव छोड़ता है आमतौर पर खुलकर मिलाया जा रहा है, ताकि दूध को फटने से बचाया जा सके। पिछले 40वर्षों से दुग्ध संघ ने टनों से दुग्ध उपभोक्ताओं को पिला दिया है।

यही कारण है कि पूरे म.प्र. में और प्रदेश के बाहर इस दूध के छाछ, श्रीखंड, फ्लैवर्ड मिल्क, आईसक्रीम, घी, जो सांची के नाम से बिक रहे हैं 10-15 वर्षों से म.प्र. के खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण विभाग ने इसके नमूने नहीं लिए। एक-दो बार प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ खाद्य निरीक्षकों ने इसके नमूने लेने की कोशिश की तो संबंधित जिलों के जिलाधीशों ने उन्हें डांटडपट दिया और नमूने की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

जून 06 में श्री अजमेरा ने म.प्र. खाद्य एवं औषधि नियंत्रक को एक सूचना के अधिकार में पत्र देकर ये जानकारी पूरे म.प्र. स्तर पर मांगी थी। यही प्रश्न विधानसभा में भी विधायकों को बंटवाया गया था, जो लगा दिया गया है, पूरे प्रदेश के हर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी से भी इस प्रश्न का जवाब देने को कहा गया है, जिसमें खुलकर झूठे आंकडे दिए जा रहे हैं। जबकि सच यह है कि हर संभाग में स्थापित सांची प्लांटों में बैठा हर अधिकारी चाहे वो इंदौर का प.स. दारूवाला हो, प्लांट मैनेजर क्रय अधिकारी और विक्रय अधिकारी से लेकर अध्यक्ष तक असली दूध, घी, आईस्क्रीम फेट, क्रीम, छाछ, श्रीखंड जैसी वस्तुओं का स्वयं और शासकीय अधिकारियों जिसमें जिलाधीश, आयक्त, न्यायाधीशों और संबंधितों को ही भरपूर मजा दे ले रहे हैं। पर जनता को न तो दूध 6 से 8% की फेट दी जा रही है, सांची गोल्ड में भी रुपए 5 के पाउच में जो रुपए 4/50 का ही है। शुद्ध सफेद, पिलाया जा रहा है, पाउडर के दूध का यही हाल अमूल जो गुजरात के डेयरी फेडरेशन लि. का है इसके भी नमूने नहीं लिए गए हैं, वर्षों से आखिर क्यों? उपभोक्ताओं ने जब बिना बताए इस दूध की जांच करवाई निजी स्तर की प्रयोग शालाओं में तो उपरोक्त सारे तथ्य सही पाए गए हैं।

खुले दूध और दूध से बनी मिठाइयों के हाल तो आए दिन अखबारों में पढ़ने को पाठकों को मिल ही जाते हैं। वर्षों पूर्व टीवी चैनल में खाद और डिटरजेंट पाउडरों से बनाए जा रहे दूध के गोरख धंधे को उजागर कर ही दिया था, पर न तो सरकार चेती न ही संबंधित विभागों में बैठे खाद्य निरीक्षकों से लेकर खाद्य नियंत्रक की चेतना जागी। दूध के नाम पर दूधमुंहों को विशुद्ध जहर पिलाया जा रहा है, पर नगर निगमों, पालिकाओं के निरीक्षकों से लेकर खाद्य एवं औषधि के खाद्य निरीक्षकों तक सबको अपनी वसूली की पड़ी है। उन्हें वसूली देते रहो, फिर जहर बेचो तो दूध बेचो तो, नकली दूध बेचो तो भी सब चल ही रहा है और सब चलेगा।

अलग हो मालवांचल

शेष पेज ३ का

चुके हैं। कपड़ा मिलों की मशीनों, जमीनों को भी नोंच खाने के लिए जो इंदौर, उज्जैन, रतलाम में स्थित है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक के गिद्धों की नजरें गड़ी हैं। कोई भी माई का लाल मिलें चालू करवाने की बात नहीं करता, करता भी है तो जानता है कि झूठा दिखावा है। बेशक मिलों को बंद करवाने में कांग्रेसी अर्जुनसिंह के साथ ही पूरे देश के कपड़ा व्यवसाय पर एकाधिकार जमाने के लिए धीरू अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने भी राष्ट्रीय टेक्साइटल नियम व केंद्र की कांग्रेसी सरकारों के साथ मिलकर गहरा षड्यंत्र रचा था, जिसमें छोटे कपड़ा मिल मालिकों को गहरा घाटा व गच्चा देकर मिलें बंद करवाना शामिल था, जो मालवा की पूरे देश और दुनिया में शान हुआ करता था।

उत्तरप्रदेश से उत्तरांचल, बिहार से झारखंड, म.प्र. से छत्तीसगढ़ अलग होने का जो कारण था, वही अब मालवा के अपने अस्तित्व का बचाने, सम्पूर्ण औद्योगिक, कृषि पर्यावरणीय विकास के लिए आवश्यक हो गया है। केंद्र भी चाहता है, छोटे-छोटे राज्य हो ताकि क्षेत्रीय स्तर पर उस क्षेत्र का बेहतर विकास किया जा सके। निःसंकोच तत्काल इस पर कुछ हो न हो परंतु दीर्घकालीन सम्पूर्ण विकास के लिए मालवांचल के दिग्गजों को अपनी आवाज बुलंद करना ही होगी।

प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि

हर जिले में सू. अ.अधि. 05 के अलग खोले जाए न्यायालय

सूचना आयोग में सरकार ने भ्रष्टों को बैठाकर बकवास आयोग बना दिया

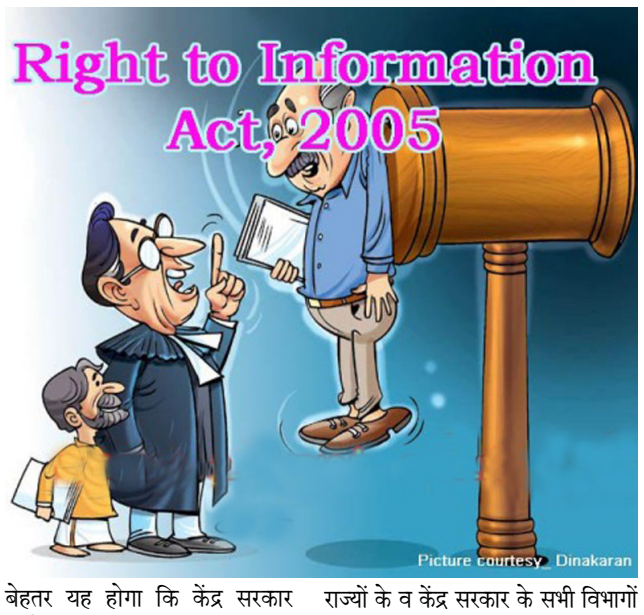

नई दिल्ली।

भारत में सरकार ने सन 2005 में सूचना अधिकार अधि. 05 लागू कर दिया इसके विपरीत मार्च 2005 से अभी तक 4 वर्ष गुजर जाने के बाद भी 90% केंद्र और राज्य सरकारों ने इसका न तो ढंग से पालन किया न ही इस अधि. की धारा 4 के अनुसार सरकारों ने अपनी और अपने विभागों की जानकारी जिसमें 17 बिन्दुओं की जानकारी हर केंद्र व राज्य शासन के कार्यालय में सूचना अधिकार कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के साथ ही इंटरनेट साइटों पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियं के नाम, पते, वेतन भत्तों से लेकर कौन सा कार्य उन्हें आवंटित किया गया है, क्या कर रहे हैं, तक डाला व रखा जाना चाहिए था।

साथ ही बजट आबंटन उपयोग योजनाएं हितग्राही के नाम कार्य पद्धति, किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत हैं, वार्षिक, मासिक, तिमाही, छहमाही, उन्नति पत्रक तक उसमें उपलब्ध करवाया जाना चाहिए था, जो पूरे राष्ट्र के केंद्रीय शासन के साथ ही राज्य शासन के किसी भी विभाग ने अभी 4वर्ष बाद भी पूरा नहीं किया है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वहां बैठे प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालयों से चलकर वहां बैठे मुख्य सचिव,प्रधान सचिवों, सचिवों, आयुक्तों, संचालकों तक किसी भ्रष्ट हरामखोर गिद्धों का भविष्य में भी कोई इरादा नहीं सूचना के अधिकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने का। जनता से नोंचे-खसोटे गए धन से ऐशो आराम से ऊपर अनाप-शनाप लूट और वसूली के धन से अरबों रुपए की चल-अचल सम्पत्ति इकट्ठी करने के विपरीत विदेशी बैंकों में धन जमा किया जा रहा है, अ. डालर 72.8 लाख करोड़ का धन तो मात्र स्विस बैंकों में ही है साथ इससे कई गुना ज्यादा काला धन देशी-विदेशी कंपनियों में नामी-बेनामी विनियोजित है, सो अलग तो आखिर कोई भी शूकर कैसे जानकारी दिखाए, इंटरनेट पर डाले।

4वर्ष में जो राज्य सरकार के विभागों में वार्षिक औसत सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वालों का सामने आया वो प्रथम आवेदन में 1 लाख में से भी कम है। दूसरा प्रथम अपील 5 लाख में 1 और द्वितीय अपील लगाने वालों में 10 लाख पर से 1 से भी कम आया है, जिसमें भी अधिकांश पत्रकार ही थे, फिर सूचना के अधिकार अधि. 05 के प्रचार-प्रसार का अरबों रुपया केंद्र शासन व राज्यों के शासनों ने न केवल पूरा हजम कर लिया, वरन वहां बैठे ढींठ और निकम्मों ने बेखौफ होकर इस अधिनियम का ही मजाक बना दिया।

केंद्र सरकार के क्षेत्रीय और प्रादेशिक स्तर पर कार्यालयों जिसमें मुख्यतः आयकर, रेलवे, डाकघर, बैंकर्स, बीमा कंपनियां थी इन्हें कोई आवेदन पत्र दे भी दो तो ये भ्रष्ट, गिद्धों की फौज पहले तो आवेदकों को चमकाने, धमकाने, शाम,दाम, दंड, भेद का प्रयोग करती है, इसके बाद भी किसी ने आवेदन पत्र दे ही दिया तो भी उसे उल्टे सीधे जवाब, भारी भरकम राशि के फोटो कॉपी शुल्क के कहां जाएगा, यदि किसी ने जमा करवा दिया तो भी जानकारी तो नहीं ही दी जाएगी। साथ लड़ाई-झगड़े, मारपीट करने तक भी उतर जाने में इन श्वानों को कोई गुरेज नहीं होता। यदि आपने प्रथम अपील फाइल करने की कोशिश भी की तो प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद और नाम नहीं बताया जाएगा। अभी तक म.प्र. में केंद्र शासन के विभागों का प्रथम अपीलीय अधिकारी तक का नाम ही स्पष्ट नहीं है।

म.प्र. शासन के विभागों में भी प्रथम अपीलीय अधिकारी में भी भारी विसंगतियां हैं। वरिष्ठ अधिकारी की अपील भी कनिष्ठ अधिकारी सुनेगा, वरिष्ठ अधिकारी के रूप में बैठे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जो संभाग स्तर पर बैठता है संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास वो भी संभागीय स्तर की अदिकारी होती है वनै हाल उपसंचालक, उद्यानिकी एवं वानिकी वह भी संभाग स्तर का अधिकारी होता है जिसके अंतर्गत जिला स्तर के सहायक संचालक उद्यानिकी व वानिकी आते हैं इसके विपरीत इनकी अपीलें जिलाधीश जो जिलों का प्रशासक होता है सुनता है, स्वाभाविक है कि वह अन्य जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों, जिला महिला बाल विकास अधिकारियों को न तो वह निर्देशित कर सकता है न आदेशित, स्वाभाविक है ऐसी अपीलों में उचित न तो निर्णय होते हैं न ही अपीलार्थी के अपील लगाने का सार्थक परिणाम मिलता है।

सूचना अधिकार अधिनियम 05 में जो आयोग के गठन की प्रक्रियाएं थी उनकी केवल सभी राज्य सरकारों ने भ्रष्टों को बैठाकर औपचारिकताएं भर पूरी कर दी, राज्य सरकारों में बैठे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों ने अपनी खाल बचाने के लिए ऐसे भ्रष्टों को तो बैठाया ही साथ, ऐसी व्यवस्था भी की कि वहां बैठे न तो किसी पर दंड लगाते हैं आवेदक को उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान करते हैं, साथ वहां बैठे शूकरों की फौज धन लेकर आवेदकों को बिना बुलाए ही उल्टे-सीधे फैसले जिनमें से अधिकांश खारिज ही कर दिए जाते हैं अपीलों की अंतिम सुनवाई में भी वर्षों लग रहे हैं। साथ ही आयोग के धूर्त चूंकि मुखैरों को अहसान स्वरूप पद सौंपा जाता है तो धारा 4 के पालन का भी सरकार उसके विभागों के मुखियाओं से तक 4 साल बाद भी पूछताछ नहीं कर सकें हैं, न ही पालन के निर्देश दे सकें। अधिनियम के अनुसार इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को संभाग स्तर पर सूचना आयुक्त की नियुक्तियां की जानी चाहिए थी या संभागीय मुख्यालय पर मासिक, त्रैमासिक, नियमित सुनवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इसके विपरीत सूचना के अधिकार में सरकार और म.प्र. सूचना आयोग में बैठे श्वानों की फौज अनावेदकों से धन वसूलने के लिए जानबूझकर बार-बार भोपाल बुलाती है, वहां आवेदकों को ये तीनों श्वान इकबाल अहमद, दिनेश जुगरान आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त पी.पी. तिवारी पर्याप्त तरीके से न केवल प्रताड़ित करते हैं, वरन सारे दस्तावेज हाथ में होने के बाद भी खरिज करने से नहीं चूकते, जिसके पीछे पूरा लेनदेन का खेल होता है, पिछले आयोग के इतिहास में केवल प्रदुषण मंडल के अधिकारियों पर लेनदेन में सामंजस्य न होने के कारण ही कुछ प्रकरणों में आर्थिक दंड दिया गया है।

दूसरा सूचना आयोग की स्वयं की साइट पर न तो अपीलों की प्राप्ति के न ही निर्णय के बारे में न तो साइट पर डाला गया है न ही कार्यालय में मुफ्त दिखाई जाती है, जब स्वयं सूचना आयोग ही सूचना अधिकार, अधिनियम का पालन नहीं कर पा रहा है, खुले में इसकी भ्रष्ट कार्यशैली से आवेदक ठगा हुआ महसूस करता है, दिनों दिन इसके विरुद्ध उच्च न्यायालयों की खंडपीठ में मुकदमों की संख्या इन धूर्तों के कारण ही बढ़ रही है। सूचना आयोग पूर्णतः बकवास सिद्ध हो चुका है।

बेहतर यह होगा कि केंद्र सरकार इनके लिए जिला न्यायालयों में ही हर जिले में सूचना अधि. 05 के अंतर्गत न्यायालय खोल दे, ताकि आवेदक को न केवल न्याय, जानकारी के साथ अनावेदक से क्षतिपूर्ति की राशि भी दिलवाए साथ ही ये न्यायालय देखें कि हर जिले के राज्यों के व केंद्र सरकार के सभी विभागों में सूचना अधिकार अधि. 05 का तरीके से पालन कर धारा 4 की जानकारी कार्यालय के साथ ही साइटों पर उपलब्ध करवाए जाने पर उचित आर्थिक दंड की व्यवस्था भी करें, ताकि अधिनियम की मंशा के अनुकूल शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सके।

शासकीय कर्मचारियों की चिकित्सा खर्च के नाम करोड़ों की लूट

मेडिक्लेम करें, रोके, चिकि. खर्च का भ्रष्टाचार

भोपाल।

राज्य शासन के अधिकांश विभागों में बैठे 25 से 40% कर्मचारी और छोटे अधिकारी झूठे चिकित्सा बिलों की वसूली से लगभग प्रतिवर्ष रुपए 100 से 125 करोड़ तक का चंदन लगा देते हैं, जिसमें से अधिकांश विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों के 50 से 70% झूठे चिकित्सा प्रमाण पत्रों और बिलों का भुगतान कर कमाई करते हैं, जिसमें बिलों की स्वीकृति में नीचे से ऊपर तक पैसा बांटता है। अनुमानित तौर पर प्रदेश शासन के कर्मचारियों पर कुल वेतन खर्च का लगभग 1 से 2% राशि हर शासकीय विभाग, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मी मात्र चिकित्साक्षतिपूर्ति के नाम पर डकार जाते हैं।

जब नगर निगम तक नागरिकों का बीमा, बीमा कंपनियों से कराते हैं, ताकि अचनाक मृत्यु पर दुर्घटना मृत्यु आदि पर पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति दिलाई जा सके।

स्कूलों में भी विद्यार्थियों का बीमा करवाया जा रहा है ताकि किसी भी दुर्घटना में विद्यार्थियों के पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति भुगतान किया जा सके। केंद्र शासन के बैंकिंग बीमा व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में एक निश्चित वार्षिक चिकित्सा राशि का भुगतान कर दिया जाता है, चाहे आप चिकित्सा करवाएं या सीधा भुगतान ले लें। कोई जरूरत नहीं है कि चिकित्सा देयकों और प्रमाण पत्रों को देने की, बेशक है तो थोड़ा सा भारी, परंतु लूट-खसोट के अवसर नगण्य हो जाते हैं।

म.प्र. शासन को कर्मचारियों, अधिकारियों व उनके परिवार के चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय बीमा कंपनियों से करार करके उन्हें सीधे ही मेडिक्लेम की पालिसी दी जानी चाहिए, ताकि सभी छोटी बड़ी बीमारी में सीधा बीमा कंपनियों से भुगतान प्राप्त हो सके। साथ ही अपना-शनाप चिकित्सा बिलों के भुगतान में होने वाली जालसाजियों को रोका जा सके, इससे सरकार पर पड़ने वाले बोझ, भुगतान के संबंध में व्यर्थ व्यतीत होने वाले समय के साथ विभागों में कर्मचारियों के बीच भुगतान को लेकर होने वाले विवादों से मुक्ति पाई जा सकेगी।

म.प्र. का बजट-झूठे आंकडों की बाजीगरी

जहां से लूट वसूली संभव वहां ज्यादा आवंटन

म.प्र. की सत्ताधीश भाजपा ने अपने सचिवों, विभागाध्यक्षों के द्वारा दोनों हाथों से उनके और मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के स्वयं के इफास्ट्रक्चर के विकास के हिसाब का बजट 09-10 के लिए 10 जुलाई को विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री ये सभी शासन के विभागाध्यक्षों, सचिवों, प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के हाथों और शतरंज की बिसात की कठपुतली होते हैं, न कि ये मंत्री, मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के निहायत मूढ गंवार हैं। ये तो इन पीछे बैठे धूर्त, मक्कार इँडियन एव्यूसिंग सर्विस के मुखौटे हैं। जो पीछे बैठी लॉबी की कठपुतली बन नाचते हैं। जो सचिव, विभागाध्यक्ष जैसे नचाते हैं, इन मंत्रीयों को वैसे ही नाचना,

गरीबों को ओर गरीब, इंफास्ट्रक्चर के नाम सत्ताधीशों का समुचित विकास

बटोरे गए धन से जो टुकड़े मिलते हैं इससे ही संतोष करना पड़ता है।

वर्तमान ने बजट को ही देखें, सड़कों पर रुपए 2489 करोड़ का इन्होंने जो प्रावधान दिखाया है उसमें अधिकांश म.प्र. सड़क विकास निगम को प्रबंध संचालक सुलेमाम बीओटी के अंतर्गत जिसमें टोलटेक्स वसूला जाएगा चाहे वो इस हरामखोर ने अपने कमीशन के लिए 5 मी. चौड़ी ही सिंगल लाईन यातायात के लिए ही क्यों न बनवाई हो, जिसके अंतर्गत यहां देखे चांदपुर, अलीराजपुर, कुक्षी, बड़वानी मार्ग जिसकी लंबाई मात्र 100 कि.मी. मात्र 63.02 करोड़ में भी ये अनुदान रुपए 24.11 करोड़ देगा, मरकुली तामिया, छिंदवाड़ा मार्ग 112 कि.मी. लागत रुपे 98.91 करोड़ में रुपए 38.91 करोड़ अनुदान मंदसौर, सीतामऊ 44 किमी लागत 25.25 करोड़, अनुदान रुपए 9.90 करोड़, वहीं भोपाल-देवास मार्ग 142.60 किमी लागत 426.64 करोड़ अनुदान रुपए 81 करोड़ रुपए वही लेबड़-जावरा मार्ग 125 कि.मी. लागत रुपए 589.31 करोड़ रुपए उपरोक्त समंक सिद्ध करते हैं जिससे जैसा सौदा पटा, इसका अध्यक्ष मु.मं. शिवराजसिंह चौहान, उपाध्यक्ष मंत्री नगेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष राकेश साहनी और कर्ताधर्म प्रबंध संचालक सुलेमान ने अंधों की रेवड़ी की तरह ठेके बांटे और जनतासे खुली सड़कों पर लूट के लिए छोड़ देंगे जो बजट में भी शामिल है। यहां पर इन श्वानों ने धन डकारने के लिए बजट में भी एक तरफ व्यवस्था की तो दूसरी तरफ सड़कों पर अनुदान के बहाने में धन डकारा गया।

अधोसंरचना के नाम एशियन विकास बैंक सहायता से 1833 किमी सड़क निर्माण के नाम कम से कम रुपए 2000 करोड़ का ऋण भी लिया जाएगा जिसमें से 25 से 40% डकारा जाएगा, दूसरी ओर यह धन सड़क निर्माण में नहीं वरन पूर्व से बनी सड़कों पर कागजी लीपा पोतीकर सुधारा और रखरखाव किया जाएगा, बाद में रखरखाव के नाम बनी-

बनाई सड़कों को ठेकेदारों को सौंप कर बीओटी का पोता लगवाकर ये गिद्ध उन सड़कों पर भी नोंचना शुरू कर देंगे टोल टेक्स इन बीओटी सड़कों के निर्माण के आजू बाजू के नुकसान को अपनी कमाई के चलते ये महाभ्रष्ट श्वान और इस निगम के मुख्यालय से लेकर संभागीय स्तर पर बैठे फौजी जैसे पूर्व का भ्रष्ट का अ.आर.के. व्यास इंदौर उज्जैन वैद से लेकर नीचे सुपर वाइजर स्तर के अधिकारी पूर्णरूप से नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा पर्यावरण, दूसरा बीओटी की सड़कों, बाजू की जमीनों पर अवैध कब्जे, तीसरा सड़क निर्माण में अकेले इंदौर-उज्जैन के वाराह कंस्ट्रेक्शन के शूकरों ने लगभग 15000 पेड़ों को काट के बेच दिया। वही हाल देवास-भोपाल के 142 किमी में लगे 50000 से ज्यादा पेड़ों को न केवल काट केबेच दिया, गारन

जो उनके सड़क निर्माण में बाधक नहीं थे वो भी काट के अरबों रुपए की इन कंपनियों ने कमाई भी की, जबकि ऐसे सारे पेड़ों की लकड़ी वन विभाग को दी जानी चाहिए थी। यह है इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का एक छोटा सा नायाब नमूना।

दूसरा अधोसंरचना के विकास में सिंचाई जिसमें सरकार ने 01,32,287 है भूमि में सिंचाई क्षमता के विस्तार की बात कही है। जो पूर्णतः निराधार, कागजी आंकडे होने के साथ ही नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण का इन्होंने दिवास्वप्न दिखाया है, 40% लगभग 52000 है। भूमि सिंचित केवल कागजों पर ही होगी, जो वसूली और भ्रष्टाचार से कमाई का सबसे मोटा साधन है।

ग्रामीण विकास

रोजगार गारंटी हेतु रुपए 5137 करोड़ में से रुपए 3000 करोड़ केवल अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायतों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा के सुपर वाइजर से लेकर जनपद के एसडी और कार्यपालन अभियंताओं से लेकर मंत्री, सचिव, ग्रामीण विकास और मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव डकार जाएंगे। ग्रामीणओं को रोजगार गारंटी मिले न मिले इन भ्रष्टों की कमाई की पक्की गारंटी है। रुपए 3000 करोड़ में से , फिर फर्जी कार्ड, फर्जी मस्टर, फर्जी बैंक खातों की भी तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

महिला बाल विकास के आवंटित रुपए 1200 करोड़ के बजट में से रुपए 600 करोड़ आंगनवाड़ी एकीकृत बाल विकास अधिकारी जो जनपदों में बैठी है से लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत, महिला बाल विकास संयुक्त संचालक, संचालक, सचिव, मंत्री और संत्री ही डकार लेंगे, बाकी आधे का ही लाभ महिलाओं और बच्चों को मिलेगा, जैसा कि इस विभाग को आवंटित धन की नियति रही है।

म.प्र. के जनसंपर्क विभाग के धूर्तों ने बजट को पूरा

और देने में तो चालाकी और धूर्तता का परिचय दिया प्रकाशित करने और जालसाजियों, बाजीगरी को विपक्ष के विधायक ढंग से समझ पाए न समझ पाए कम से कम मीडिया के पास न पहुंचे, इसलिए प्रेस नोट में आधी अधूरी जानकारी ही दी साथ ही इसका विस्तृत प्रकाशन भी इंटरनेट की साईटों पर नहीं डाला गया, ताकि सचमुच ही ज्ञानी ध्यानी पत्रकार उसका सही आंकलन कर जनता को न समझा सकें।

कृषि विकास और कृषक कल्याण

म.प्र. के बजट में जनसंपर्क के धूर्त कलाकारों ने जो चालाकियां दिखाई उसमें कृषि के नाम पर पूर्व के वर्ष 50% बजट दिखना था, पूर्व में कितना था है, राघवजी से पूछो, राघवजी का उत्तर आएगा मुझसे नहीं, वित्त सचिव से पूछो अर्थात बस आंकडों की बाजीगरी है जो म.प्र. इंफो की साईट के अनुसार कृषि के लिए रुपए 158 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आयोजन में महत्वपूर्ण प्रावधान
सिंचाई, सड़क, ऊर्जा

* सड़क, भवन, सेतु रुपए 1843करोड़
* सिंचाई- रुपए 2485 करोड़
* ऊर्जा- रुपए 1346 करोड़
* कृषि- रुपए 1587 करोड़
* ग्रामीण विकास- रुपए 3483 करोड़
* शिक्षा- रुपए 1497 करोड़
* शहरीय विकास- रुपए 854 करोड़
* स्वास्थ्य- रुपए 413 करोड़

०.५ के लिए क्या ९९.५ के हितों पर कुठाराघात

दिल्ली हाईकोर्ट की समलैंगिकता को वैधानिकता

नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 377 जिसमें समलैंगिक संबंधों को न केवल वैधानिक वरन सजायोग्य थी, को शिथिल कर समलैंगिक को आपसी शारीरिक संबंध स्थापित करने की छूट देकर क्या सिद्ध किया कि 0.5% से 1% समलैंगिकों के लए 99% आबादी के हितों को ठुकराया जा सकता है, वह भी 120 करोड़ की आबादी के राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत द्वारा, कितना उचित था यह स्वयं वहां बैठे जनता के पैसे से मोटा वेतन सुविधाएं प्राप्त कर रहे, न्यायाधीश सोचें कि यह कितना उचित है। इससे क्या अमीर वर्ग की महिलाएं, पुरुष अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए निर्धनों को शोषण नहीं करेंगे। दूसरा जिन समलैंगिकों को वर्तमान शारीरिक सुख की चाहत का भविष्य क्या होगा?

तीसरा- समलैंगिकों के देखकर समाज की वर्तमान और भावी पीढ़ी प्रोत्साहित होकर किस समाज और भविष्य का निर्धारण करेगी।

चौथा- विपरीत या समलिंगी शारीरिक एकांत में ही बनाए जाते हैं, जब दोनों पक्षों की सहमति हो, तो उन्हें शताब्दियों से कौन ने कब रोका या रोक सकता है, या रोक सकेगा, असहमति, दबाव, लालच, झूठ बोलकर, छल कपट, डरा धमकाकर शारीरिक संबंध चाहे समलैंगिक होगा, विपरीत में पुलिस में रिपोर्ट होने पर असंवैधानिक, सजायोग्य अपराध माने ही जाते हैं। तो इस धारा को शिथिल करने और समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्रदान करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, सर्वोच्च न्यायालय को।

पांचवा- समलैंगिक संबंध बाबा रामदेव के अनुसार मानसिक और शारीरिक विकृतियों का परिणाम है। बिलकुल सच है। प्राचीन आयुर्वेद व अन्य शास्त्रों के अनुसार कब्जियता और बवासीर के शिकार पुरुषों में यह इच्छा जागृत हो जाती है।

छठवां- विकृत भोजन, विषैले खाद्य पदार्थों वैसे भी पुरुषों को नपुसंक बना रहे हैं, पूर्ण पुरुष भी इस नपुसंकता का शिकार होकर समलैंगिकता की तरफ वातावरण मिलने पर समलैंगिक हो जाता है, जिसे दूर करना अच्छा पौष्टिक शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना सरकार का ही दायित्व है।

सातवां- सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए था कि बढ़ता समलैंगिकता के प्रति रुझान के कारणों की जांच करवाती और समलैंगिकता को रोकने का प्रयास करती।

आठवां- महिलाओं में बढ़ती व्यावसायिकता, भौतिकता के प्रति आकर्षण भी जिम्मेदार है। जो पुरुषों को समलैंगिकता की तरफ धकेल रहा है। निर्धन वर्ग के पुरुषों को महिलाओं की व्यावसायिक प्रवृत्ति और धन के बदले यौन सुख की प्रवृत्ति समलैंगिकता की तरफ ले जा रही है, क्या दिल्ली हाईकोर्ट की औकात है जो इसको रोक सकेगा। मध्यम बड़े और मेट्रो श्रेणी की आबादी के शहरों में पुरुषों की समलैंगिकता का कारण भी सामने आया है।

नौवां- पृथ्वी पर प्राणियों का जन्म, नर और मादा के संभोग से संभोग के लिए ही हुआ है, संभोग करो, अगली पीढ़ी को जन्म दो, जीवन चक्र पूरा करो, देह त्यागो और जाओ, यह हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य का सत्य है, दिल्ली हाईकोर्ट में बैठे न्यायाधीशों का भी यही सच है तो इन न्यायाधीशों ने पृथ्वी को इस सत्य को कैसे और क्यों? नजर अंदाज कर समलैंगिकता की वैधानिकता पर मुहर लगा दी।

दसवां- मानव मन विद्रोही और चंचल स्वभाव का है, इसीलिए हर कानून बनाया गया है ताकि कानून की सीमाओं में रहकर ही समाज को सुचारू रूप से अग्रसर किया जा सकता है। इतने महत्वपूर्ण समाज की आधारभूत आवश्यकताओं के कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है तो बेहतर है सारे कानूनों को समाप्त ही कर दो, जो जैसे जीना चाहे जिए समाज नष्ट हो तो होने दो।

ग्यारहवां- चंद मुट्ठी भर लोग ही समलैंगिक होते हैं। 99% आबादी नहीं, जैसे कि कुल आबादी के 2.5% लोग ही आपराधिक, जालसाज और शैतान प्रकृति के होते हैं, जिन के लिए ही सारे कानून समाज के अन्य लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं उन्हें चंद मुट्ठीभर के लिए कानून बदला जाना कैसे और कहां तक उचित है।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पुनः अपने फैसलों की समीक्षा करना चाहिए, जिन चंद लोगों ने समलैंगिकता का समर्थन किया है वे ही न केवल समाज को बर्बाद करने पर तुले हैं वे ही चंद मुट्ठीभर पूरे देश के 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।

* जो समलैंगिकता का समर्थन करते हैं, उनसे यह पूछा जाए कि वे स्वयं सोचें कि यदि उनके मां-बाप भी समलैंगिक होते तो उनका जन्म कहा से होता,यदि उनका जन्म ही नहीं होता तो शायद ये बकवास की शुरुआत नहीं होती।

* वैसे जो समलैंगिकता का समर्थन कर रह हैं, वैधानिकता पर खुशी मना रहे हैं उनका बस वर्तमान ही है। भविष्य पर तो सदा के लिए पूर्णविराम वो स्वयं ही लगा ही रहे हैं अच्छा है कि इस बहाने जनसंख्या पर नियंत्रण भी होगा।

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से
प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.
कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2304377 मो. 93007-55803